LAW AMBITION
LAW INSTITUTE

Think Judge
Think Ambition

विधि
व्यवहारिक समझ
और तर्क के सिवाए
कुछ नहीं है

– ए.के. रंजन

PROSPECTUS

न्यायिक सेवा

विधि संहिताबद्ध समझ है और यह पारस्परिक व्यवहार नवोन्मेष और अंतर्विषयक मानदण्ड पर इस्तेमाल की मांग करता है।

समझने में त्रुटि व गलत दृष्टिकोण और रणनीति का निष्कर्ष इसमें असफलता का परिणाम होता है, इसलिए हम नए साधन और तकनीक, जो विधि को रुचिकर व ज्ञानवर्धक बनाएगी और विधि जिसकी हकदार है, को विकसित व प्रयोग करने का प्रयास करते हैं।

हम ससम्मान यह कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण नवोन्मेषी, पथ प्रवर्तक और आपके सहयोग के अनुकूल है तथा हम अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने की विरासत को जारी रखेंगे।

– ए.के. रंजन

LAW AMBITION
LAW INSTITUTE

विषय सूची

1 निदेशकीय संदेश

2 हमारा दृष्टिकोण

3 हमारा उद्देश्य

4 एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट क्यों?

5 साक्षात्कार

6 न्यायिक सेवा क्या है?

7 न्यायिक सेवा परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण किया जा सकता है?

8 विगत वर्षो के सफल परिणाम

9 सफलता की कहानी (टॉपर्स/ शीर्षतम) की टिप्पणियाँ

10 न्यायिक सेवा का संयुक्त पाठ्यक्रम

11 ख्याति एवं साहचर्य

12 प्रमाण पत्र

13 चित्र दीर्घा

निदेशकीय संदेश

हम आपसे बातचीत करने का अवसर पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

सबसे पहले, आपको जज बनने के निर्णय के लिए तहेदिल से बधाई देते हैं। न्यायपालिका का न्यायिक सदस्य होना, कैरियर के सर्वोत्तम विकल्पों में से एक है और आधुनिक युग में सबसे अधिक प्रशंसा के योग्य है।

एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के संसार में आपका स्वागत है। यह विधिक शिक्षा का पर्यायवाची है और यह भारत के एकमात्र विधि संस्थान के रूप में जाना जाता है, यह विशेषत: कानून सिखाने के लिए समर्पित है। जैसा कि इसके नाम "एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट" से प्रतिबिंबित होता है, जहाँ एम्बिशन संस्थागत शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा विधिक कैरियर को आकार दे रहा है। हमारी अद्वितीय प्रतिबद्धता, निर्विवाद सत्यनिष्ठा और बुद्धिमत्ता ने हमें विधिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन का स्थान प्रदान किया है। हम अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग हैं व बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए आपकी सेवा करने को प्रतिबद्ध हैं।

एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट सौभाग्यशाली है कि, बार संघों, विधि-स्कूल, न्यायपालिका प्रतिष्ठानों तथा लोक-सेवा प्रशिक्षण अकादमियों के साथ उद्देश्यपूर्ण बातचीत और सहचर्य का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे तैयारी की रणनीति के प्रति गतिशील, अर्थपूर्ण और विकसित दृष्टिकोण, अरोचक प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए स्वयं का उन्मुखीकरण किया जा सके।

पिछले दो दशकों में अनेकों चयन के परिणाम के साथ, एम्बिशन सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की तैयारी का मार्गदर्शन प्रदान करने में अग्रणी है। जो भी हमारे पास आता है, हम उन प्रत्येक विद्यार्थियों की क्षमताओं में विश्वास करते हैं। हम उन्हें सिखाने के अनुभव को अपना एकमात्र आदर्श व उद्देश्य मानते हैं।

यह संसार केवल कठिन परिश्रम करने वालों का ही नहीं बल्कि चतुराई से कार्य करने वालों का भी है। अत: केवल अध्ययन (पढ़ाई) के घण्टे ही महत्त्वपूर्ण नहीं बल्कि समुचित दृष्टिकोण एवं रणनीति भी महत्त्वपूर्ण है। इस संबंध में एम्बिशन हर तरह से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहा है जिससे वे सुखद परिणाम प्राप्त कर सके। इन दिनों, सफलता केवल विधि सीखने से नहीं आती बल्कि अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता, सामान्य ज्ञान की गहन समझ निबंध लेखन का कौशल और अनुवाद की निपुणता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, इसलिये हम इन सभी क्षेत्रों को महत्त्व देकर कक्षाओं का आयोजन कराते हैं।

जैसा कि, आपको ज्ञात है कि अधिकांश विद्यार्थी विधि तो जानते हैं, किन्तु वे दूसरे विषयों की तैयारी नहीं कर पाते; निष्कर्षत: उन्हें परिणाम के रूप में असफलता प्राप्त होती है, लेकिन एक ही समय पर सभी चीजों पर बल नहीं दिया जा सकता। अत: हमने अपनी व्याख्यान योजना को इस प्रकार तैयार किया है कि इन सभी क्षेत्रों पर भी समतुल्य महत्त्व दिया जा सके।

अंतत: मैं सचमुच आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ और आप भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सफल हो ऐसी मैं कामना करता हूँ।

LAW AMBITION LAW INSTITUTE

हमारा दृष्टिकोण

हमारा दृष्टिकोण आधुनिक युग की प्रतियोगी परीक्षाओं के मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना प्रासंगिक है, ताकि समाज के किसी भी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी न्यूनतम लागत पर विधिक परीक्षाओं के लिए पूर्ण विश्वास प्राप्त कर सकें। हम गंभीरता के साथ सर्वोत्तम विधि शिक्षा प्रदान करने एवं नेतृत्त्वकर्ताओं की अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हमारा उद्देश्य

- सभी विधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु विस्तृत एवं नवोन्मेषी विधिक शिक्षा का उद्‌विकास एवं प्रदत्तीकरण।
- विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करना और उन्हें अपने अध्ययन को अपेक्षित तरीके से व्यवस्थित करने हेतु मार्गदर्शन करना।
- विश्लेषण की क्षमता में सुधार करके परीक्षा के उद्देश्य से इसे सर्वोत्तम तरीके से प्रस्तुत करना।
- विधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुकूल परिणाम पाने के लिए, ऐसे सभी कार्य करना जो अनुषांगिक, आवश्यक व प्रवाहकीय हैं।
- वे शैक्षणिक मूल्य एवं वातावरण को प्रोत्साहित करना, जो विधिक और लोक सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल हो तथा व्यवसायिक मूल्यों के गंभीर भावों को सिखाता हो।
- हमारे वर्तमान व पूर्व विद्यार्थियों को उनके व्यवसायिक व व्यवहारिक विकास में सही मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।
- विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों को प्रदान करना।
- सीखने के अनुभव को आनंदमय बनाना।

LAW AMBITION LAW INSTITUTE

एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ही क्यों?

न्यायिक सेवा परीक्षा, लोक सेवा आयोग, वैकल्पिक विधि विषय एवं CLAT परीक्षा के लिए

हमारी संस्था आपको कानून की बेहतर समझ और ज्ञान प्रदान करती है एवं न्यायिक सेवा और लोक प्रशासक इत्यादि परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करती है।

हमें क्या विशिष्ट बनाता है?

एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट, AEPL की सहायक संस्था है, जिसके पास 9 वर्षों का न्यायिक सेवा परीक्षा के साथ ही लोक सेवा, वैकल्पिक विधि विषय और CLAT परीक्षा के सफल मार्गदर्शन का श्रेष्ठ अपना इतिहास है।

अद्वितीय शिक्षण तकनीक :

एम्बिशन के पास अत्यधिक अनुभवी एवं समर्पित विशेषज्ञों की टीम है, जो अनुपम शैक्षणिक तकनीक में पारंगत है जिन्होंने गहन अंत:क्रिया द्वारा अपना मूल्य सहयोग प्रदान किया है।

प्रवीण संकाय :

हमारे पास विषय-विशेषज्ञ एवं अनुभवी अध्यापक संकाय है जिन्होंने उत्तम उत्तर लेखन शैली एवं साक्षात्कार की तकनीक को विकसित किया है।

विशेषज्ञों द्वारा तैयार सामग्री :

छात्रों को निरंतर अंतराल में उर्जावान, विकसित और अनुभवी लोगों के शोध समूह द्वारा अद्यतन अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती है।

अनुकूल कक्षाएँ :

हमारा संस्थान उच्च, सहायक, स्वस्थ व अनुकूल, अनुशासित अध्ययन, बेहतर माहौल, पूर्ण हवादार व स्वच्छ बैठने की व्यवस्था तथा सीमित सीट कक्षा में प्रदान करता है। वह सख्ती के साथ अपने दिशा-निर्देश लागू कराता है।

एम्बिशन में अध्ययन के क्या लाभ हैं?

बुनियादी तत्त्वों से शुरूआत :

प्रत्येक विषय के लिए सत्र पाठ्यक्रम के बुनियादी तत्त्वों से शुरू होता है हम नहीं मानते कि विद्यार्थी हमारे पास अच्छी तरह प्रशिक्षित होकर आए हैं।

सिद्ध अनुभव एवं ख्याति :

एक दशक से भी अधिक समय से एम्बिशन संस्थान सभी प्रकार से छात्रों की सेवा कर रहा है और निर्विवाद व सार्थक विधिक शिक्षा प्रदान कर रहा है।

विद्यार्थी केन्द्रित दृष्टिकोण :

हमारे सभी अध्यापक और कर्मचारी विद्यार्थियों के लिए अनुकूल कक्षाएँ बनाने की तरफ समर्पित हैं। हम अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुकूल अधिक-से-अधिक तरीकों द्वारा स्वयं को विकसित करने को प्रतिबद्ध हैं। हमने अपनी उपचारात्मक विशेषताओं को सावधानी से केवल विद्यार्थियों को केन्द्र में रखकर ही एक लय में रखा है।

समर्पित विशेषज्ञ :

न्यायिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी विशेषज्ञों के एक समर्पित समूह की माँग करती है। हमारे संस्थान 'एम्बिशन' में ऐसे समर्पित विशेषज्ञ हैं, जो अथक परिश्रम करते हैं, जिससे कि सुसंगत, अद्यतन व संक्षिप्त अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए हमेशा तैयार हो सके।

समग्र विकास एवं व्यक्तिगत संपर्क :

हम विद्यार्थियों के केवल बौद्धिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्त्व को अधिक प्रभावशाली बनाने में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम पूरी प्रसन्नता से प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत तौर पर अपना समय देते हैं और उनको अधिक बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं, ताकि उनकी पहचान बेहतर हो।

अध्ययन सामग्री :

हम विद्यार्थियों के लिए विगत वर्षों की अखिल भारतीय प्रारंभिक न्यायिक सेवा परीक्षा के प्रश्नों को व्याख्या के साथ सम्मिलित कर एक ही स्थान पर विषयवार एवं अध्यायवार समावेश करके छात्रों को प्रदान करते हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या लगभग 22 हजार होती है; वहीं मुख्य परीक्षा के लिए हम विद्यार्थियों को कक्षा कार्यक्रम के दौरान ही विगत वर्षों की मुख्य परीक्षा में आए प्रश्नों को उत्तर के साथ प्रदान करते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 हजार होती है।

LAW AMBITION LAW INSTITUTE

साक्षात्कार

आलोक कुमार रंजन (निर्देशक, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट, दिल्ली)

किस तरह एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट अस्तित्व में आया?

पढ़ाने की प्रबल इच्छा ने मुझे दिल्ली एवं आस-पास के छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित किया और जब मैंने उनको सिखाने का अवसर प्राप्त किया, उन्होंने मुझे यह कहकर आश्चर्यचकित कर दिया कि, "मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ और मेरा सम्प्रेषण कौशल अद्वितीय है।" अत: यह एक चिंगारी थी और वास्तव में मैं एक ऐसे अच्छे करियर को ढूँढ़ रहा था; जोकि राष्ट्र एवं समाज की तरक्की में योगदान करें। अत: वर्ष 2001 में मैंने एक संस्था **एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट** के नाम से खोलकर एक प्रशिक्षक, प्रेरक बनने का कार्य चुना।

क्या विभिन्न परीक्षाओं जैसे- न्यायिक सेवा परीक्षा, क्लैट, सिविल सेवा परीक्षा (विधि) के लिए अलग तैयारी की आवश्यकता होती है?

इन परीक्षाओं के विभिन्न लक्ष्य होते हैं, एक यह कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाए, जो विधि को सिखाने का दृष्टिकोण रखता हो, दूसरा यह कि कौन व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ समाज में न्याय प्रदान कर सकता है और तीसरा यह कि एक ऐसे अधिकारी का चुनाव किया जाए जो सरकार के निर्देशानुसार लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकें। अत: सभी परीक्षाओं की आवश्यकताएँ पूर्णतया भिन्न हैं और इस साक्षात्कार के बाद के भाग में मैंने विस्तारपूर्वक यह वर्णन किया है कि इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए कौन-सी रणनीति का पालन करना चाहिए।

"विधि को सामाजिक विज्ञान माना जाता है"। अत: इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का अध्ययन करना कितना महत्त्वपूर्ण है?

विधि, समाज के लिए है एवं समाज में लागू होती है। अत: समाज की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक पृष्ठभूमि को समझना, विधि के पूर्ण संचालन एवं निष्पादन के लिए आवश्यक है। अत: यह विषय सही वातावरण में विधि को समझने का उचित आधार प्रदान करता है।

क्या पिछले वर्षों की तुलना में आज विद्यार्थी, न्यायिक सेवा के लिए तैयारी करने में अधिक उत्सुक है?

यदि हम 5 वर्ष पीछे मुड़कर देखें तो यह पाते हैं कि तब न्यायिक परीक्षा अनियमित या कभी-कभी होती थी लेकिन इन दिनों शीघ्रतम न्याय देने पर विचार-विमर्श होता रहता है। उच्चतम न्यायालय एवं कार्यपालिका द्वारा भी समय-समय पर यह अनुभव किया जाता रहा है कि न्यायाधीशों का अनुपात भारत की जनसंख्या के अनुरूप नहीं है। अत: न्यायाधीशों की हर स्तर पर जरूरत है, जिसके लिए विभिन्न राज्य प्रतिवर्ष परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। अत: स्पष्ट तौर पर विद्यार्थी निम्न एवं उच्च न्यायिक सेवाओं के रूप में अच्छा कैरियर पाते हैं।

उपर्युक्त परीक्षाओं की तैयारी एवं विद्यार्थियों के लिए आदर्श समय सीमा क्या है? क्या यह विभिन्न परीक्षाओं के लिए अलग-अलग है?

तैयारी शुरू करने का आदर्श समय तब है जब वह परीक्षा में भाग लेने का निर्णय लेता है और विभिन्न क्षमताओं के विद्यार्थी इसे तैयार करने के लिए अलग-अलग समयावधि लेते हैं। इस उद्देश्य के लिए तैयारी जितना जल्दी हो सके, शुरू कर सकता है, ताकि तद्नुसार अग्रिम योजना और रणनीति बना सके। लेकिन कम से कम दो साल की समय रूपरेखा तो बहुत जरूरी है। आधुनिक युग ने विधि के छात्रों के लिए बहुत सारे विकल्प एवं अवसर खोल दिये हैं। इस संबंध में एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ने छात्रों के कैरियर विकल्प में आने वाली चुनौतियों के प्रशिक्षण के लिए चाहे वकालत हो या न्याय देना हो या कॉर्पोरेट में कैरियर हो या विधि प्रबंधक इत्यादि के लिए विशेष तरीके अपनाए जाएँगे।

इनमें से यह सभी बहुसंख्यक दृष्टिकोण और अन्तरविषयी और अन्तरा-विषयी स्तर पर परस्पर संबंध स्थापित करने की ओर क्रियान्वयन की माँग करते हैं। मूल विधि में सर्वश्रेष्ठ हल पाने के लिए अपराधी एवं दीवानी प्रक्रिया जैसे कि आपराधिक और दीवानी दोषों से संबंधित विधि का क्रियान्वयन करना और इसके लिए वास्तव में उच्चतम मानक के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो उन्हें विभिन्न स्तरों के हल प्रदान करके बाधाओं को पार करने में सक्षमता देता है।

आधुनिक युग की प्रतियोगी परीक्षाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता एवं प्रासंगिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थान की स्थापना की गयी थीं; ताकि समाज के किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कानूनी क्षेत्र की किसी भी परीक्षा को कम से कम लागत पर पास करने का पूर्ण भरोसा हो सके। हम बेहतरीन कानूनी शिक्षा प्रदान करने और नई पीढ़ियों को तैयार करने, राष्ट्र-निर्माण एवं समाज में सुधार के लिए अपने मिशन के प्रति गंभीरता से प्रतिबद्ध है।

जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मैं गर्व महसूस करता हूँ कि हमने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बहुत संख्या में लोक सेवक एवं न्यायिक अधिकारी बनाएँ, जिन्होंने विधि, विकल्प के रूप में ले लिया और लेकर अपने क्षेत्र में अति उत्तम कार्य किये हैं और हमारे संस्थान का परचम बुलंद किया है।

इसके अलावा हमने अनेक लोगों को प्रशिक्षित किया, जो महान वकील, उद्योग क्षेत्र प्रबंधक, लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक

के साथ-साथ प्रोफेसर एवं लेक्चरर इत्यादि है जिन्होंने हमारा परचम बुलंद किया हमारे शिक्षा देने के अद्भुत एवं दिलचस्प तरीके जो सीखने का एक सुखद अनुभव प्रदान करते हैं।

यही ही नहीं हमने **'एम्बिशन पब्लिकेशन'** नाम का हमारा प्रकाशन शुरू किया जिससे हम कम कीमत में पुस्तक प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुँच सके और हमने प्रथम पुस्तक प्रकाशित की जो कि "एन आइडिया ऑफ कांस्टीट्यूशन"।

यह पुस्तक भारतीय संविधान का सारगर्भित एवं सरल संक्षेपण है, यह एक आम आदमी द्वारा समझने योग्य है और अब हम सुदूर स्थानों के विद्यार्थियों की सहायता के लिए आसान तरीके से विधि को समझने के लिए बेयर एक्ट का एक सरलीकृत संस्करण भी प्रकाशित कर रहे हैं।

ख्याति प्राप्त दूसरे संस्थानों के विपरीत हम विद्यार्थियों से कम शुल्क लेते हैं और हमारे अध्यापक अपने विधि सीखने के विचारों को विभिन्न विश्वविद्यालय में बाँटते हैं जिससे विद्यार्थियों को तैयारी करने में सहायता मिलती है।

अत: हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को केवल शब्दों या वचनों में नहीं बल्कि सच्ची भावना से समझते हैं।

न्यायिक सेवा (तैयारी की रणनीति)

न्यायिक सेवाओं में दो प्रवेश स्तर है। प्रथम मार्ग नए विधि स्नातकों के द्वारा विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेकर (जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आदि। इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम संबंधित लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है और उनमें विधि विषय के अतिरिक्त अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है। न्यायिक सेवा के पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि एम्बिशन द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस प्रकार का माध्यम आपको समय पर रोजगार एवं प्रोन्नति प्रदान करने का आश्वासन देता है।

दूसरा मार्ग, जिससे होकर आप न्यायिक सेवा में शामिल हो सकते हैं, वह है उच्च न्यायिक सेवा (HJS)। यह सेवा ऐसे अधिवक्ताओं के लिए है, जिन्होंने अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया है। इसके लिए

आवेदकों को विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना होता है जिसके लिए पाठ्यक्रम विवरण ऊपर वर्णित जैसा ही है। इस विकल्प का लाभ यह है कि अगर अभ्यर्थी चयनित होता है तो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होता है और उसके बाद प्रोन्नति भी प्राप्त कर सकता है।

न्यायिक सेवा की परीक्षा तीन स्तरीय परीक्षा है, जो विभिन्न स्तर पर अलग-अलग तैयारी की रणनीति की माँग करता है। प्रथम चरण प्रारम्भिक परीक्षा है जो बेयर एक्ट के विश्लेषण तथ्यात्मक समझ एवं तथ्य संबंधी सूचना को याद रखने की माँग करता है।

बेयर एक्ट की योजना को समझने के लिए हमें प्रतियोगियों को तैयार करने की जरूरत है। जैसा कि हम विश्वास करते हैं कि विधि एक व्यवहारिक ज्ञान और तर्क है एवं प्रत्येक चीजें एक व्यवस्था और क्रम में होती है; जैसे कि मनुष्य के शरीर में एक क्रम होता है जिसमें सिर सबसे ऊपर और पैर सबसे नीचे होता है। ठीक, उसी तरह संपूर्ण बेयर एक्ट में एक क्रम तथा व्यवस्था होती है, आवश्यकता यह है कि हम इसे सही क्रम में पढ़े और इसी तरह प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

उदाहरण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में अन्वेषण पहले होगा फिर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और फिर न्यायाधीश संज्ञान लेकर विचारण प्रारम्भ कर सकता है और इस चरण में न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रश्न उत्पन्न होता है, विचारण के पश्चात् दोषमुक्ति या दोषसिद्धि हो सकती है और यदि व्यक्ति पीडित है तो उसको अपील एवं पुनर्विलोकन आदि का अवसर प्राप्त हो सकता है।

अत: इसी प्रकार अध्यायों एवं घटनाओं का क्रम व्यवस्थित है। इस क्रम की समझ आपको धाराओं एवं अध्यायों को याद करने में सुविधा प्रदान करता है और यही प्रारम्भिक परीक्षा की कुंजी है।

मैं यह विश्वास करता हूँ कि मूलपाठ अपना अर्थ सन्दर्भ से प्राप्त करते हैं अत: पूर्ण समझ के लिए सब कुछ संदर्भ के साथ समझना आवश्यक है। अब हम दूसरे चरण अर्थात लिखित परीक्षा पर आते हैं जहाँ योग्यता आधारित प्रश्नों को हल करने की जरूरत होती है या सैद्धान्तिक प्रश्नों के लिए नए विचारों का उत्पादन होता है।

साक्षात्कार के अन्तिम स्तर पर किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी की भावना के साथ न्याय प्रदान करने की परीक्षा होती है। इस उद्देश्य के लिए एम्बिशन अपनी टीम में अनुभव एवं ऊर्जा का संचार करता है जिससे वह गुणवत्ता के साथ शिक्षा दे सके एवं सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाए। समझने के इस तरह के आसान एवं तन्मयकारी तरीके, जिससे दिमाग आसानी से प्रशिक्षित हो सकें।

विद्यार्थियों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे अधिकतम जटिल प्रश्नों का सामना कर सकें। शिक्षण की कार्यप्रणाली इस प्रकार हो जिससे विद्यार्थियों को लम्बे समय तक विचार को धारण करने में मदद करें और विभिन्न तरीके एवं शैली भिन्न-भिन्न परीक्षाओं की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। यहाँ हम विद्यार्थियों को अपने शब्दों में सर्वश्रेष्ठ उत्तर देने की तैयारी करवाते हैं और हम उन्हें सलाह देते हैं कि अपने शब्दों में धाराओं और निर्णयों के साथ संक्षिप्त नोट्स तैयार करें।

क्लैट - एक उभरता विकल्प

क्लैट एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, जिसमें 200 प्रश्नों को दो घण्टों में हल किया जाएगा। घटकों में कानूनी योग्यता, तार्किक तर्क, अंग्रेजी भाषा, गणितीय योग्यता और सामान्य जागरूकता शामिल है। चूंकि इन विषयों के लिए एक समय सीमा के भीतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, इसलिये हमारा सुझाव है कि छात्र पहले सिद्धांतों में महारत हासिल करें और फिर रोजमर्रा के आधार पर अभ्यास करें।

कानूनी योग्यता, तार्किक तर्क एवं अंग्रेजी व्याकरण और उसके उपयोग के लिए कुछ सीमित सिद्धान्तों की आवश्यकता होती है।

सामान्य जागरूकता को सीखना एक लम्बी प्रक्रिया है, जो कि एक कहानी के रूप में सीखा जाना चाहिए अन्यथा तथ्यों को रटना अत्यन्त बोझिल प्रक्रिया है। अत: हम विद्यार्थियों को प्रतिदिन एक अच्छा समाचार पत्र जैसे- इण्डियन एक्सप्रेस, पढ़ने एवं दिमाग में कहानी

बनाने की सलाह देते हैं और समाचार पढ़ने से छात्रों की अंग्रेजी भाषा की समझ सुधारने के साथ नई विधियों एवं अध्यादेशों के पारित होने के विकास, शीर्ष न्यायालयों के ताजे निर्णयों, विधिक शब्दावली को समझने एवं शब्दावलियों को सुधारने में मदद करता है।

विधि (भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आवश्यक विषय)

भारतीय प्रशासनिक सेवा में वैकल्पिक विषय के रूप में विधि सामान्य ज्ञान की समझ पर आधारित है और अपराध विधि, अपकृत्य विधि एवं संविदा विधि जैसे विभिन्न दिलचस्प विषयों को लागू करने के साथ कानून के विभिन्न क्षेत्रों जैसे– उपभोक्ता संरक्षण से पर्यावरण संरक्षण तक, सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर प्रतिलिप्याधिकार और पेटेण्ट के साथ भ्रष्टाचार निवारण, सिविल अधिकारों का संरक्षण पर आधारित है, जो प्रतियोगी को समाज में बेहतर तरीके से सेवा करने में मदद करता है। संविधान एक मौलिक विधि है जो कि राजनीतिक विज्ञान और विभिन्न संवैधानिक मशीनरी कार्यप्रणाली के साथ–साथ सरकार की नीति और योजना जो कि, राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों और अन्तर्राष्ट्रीय विधि को समझने में सहायता करता है, यह उन्हें विधिक क्षेत्र के अन्तर्राष्ट्रीय पहलू को समझने एवं व्यवहार करने में आत्मविश्वास दिलाता है। प्रश्नों की प्रकृति सामान्य तौर पर प्रमुख क्षेत्रों और वर्तमान घटनाओं के संदर्भ पर आधारित है अतः यह पूर्वानुमान के योग्य भी हो जाता है। हमें पाठ्यक्रम के प्रसंगों को वर्तमान संदर्भ में मूलभूत गहराई से समझने की आवश्यकता होती है।

विधि कुछ नहीं बल्कि सामान्य समझ एवं तर्क है अतः कोई भी विद्यार्थी इस विषय को सबसे ज्यादा सुरक्षित विकल्प के रूप में चुन सकता है क्योंकि इसमें उत्तर देने के लिए सामान्य समझ एवं व्यवहारिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। सामान्य अध्ययन जैसे, राजनीतिक विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध और निबन्ध लेखन इत्यादि की गहराई को समझने के लिए विधि की आवश्यकता होती है और मैं कह सकता हूँ प्रशासक के लिए विधि का जानना आवश्यक है।

हमारा प्रशिक्षण : अध्यापन की तैयारी

इन दिनों केवल विधि सीखने से सफलता नहीं आती है, बल्कि अंग्रेजी में प्रवीणता, सामान्य ज्ञान में गहराई, निबन्ध में लेखनी कौशल और अनुवाद में महारथ भी स्थान रखते हैं। अतः हम इन क्षेत्रों के लिए कक्षाओं का आयोजन कराकर इन क्षेत्रों को भी महत्त्व देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अनेक विद्यार्थी विधि तो जानते हैं परन्तु दूसरे क्षेत्रों में अपनी तैयारी न होने की वजह से असफल हो जाते हैं। लेकिन एक ही समय पर इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। अतः हमने अपने लेक्चरर प्लान को इस प्रकार सूत्रबद्ध किया जिससे इन विषयों को उचित महत्त्व मिले। अतः हम कुछ सामान्य नियम अपनाते हैं, जो निम्नवत पालन किए जाते हैं–

आधारभूत से शुरुआत: प्रत्येक विषय का सत्र पाठ्यक्रम की आधारभूत बातों से शुरू होता है। हम यह मानकर नहीं चलते हैं कि विद्यार्थी हमारे पास तैयारी करके आया है।

अनुभव और ख्याति : एम्बिशन एक दशक से अधिक समय से सभी प्रकार से छात्रों की मदद करता आ रहा है और अर्थपूर्ण तैयारी का विधिक शिक्षण प्रदान कर रहा है।

विद्यार्थी केन्द्रित सोच : हमारे सभी अध्यापक और कर्मचारीगण कक्षाओं को विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने के लिए समर्पित है। हम खुद को हरसंभव तरीके से विद्यार्थियों की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यार्थियों को केन्द्र में रखकर अति गहनता एवं उपचारात्मक रूप से तैयारी करायी जाती है।

समर्पित विशेषज्ञ : न्यायिक सेवा परीक्षा जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं लिए हमारे विधि विशेषज्ञ दिन–रात अथक परिश्रम करते हैं, ताकि अद्यतन, सुसंगत एवं संक्षिप्त सामग्री छात्रों के लिए हमेशा तैयार रहें।

मैं निष्ठापूर्वक सभी प्रतियोगियों और उनके अभिभावकों को यह सुझाव दूँगा कि कैरियर और संस्था के चयन में सावधानी और सतर्कता से निर्णय लें। हम खासतौर पर केवल परिणामों पर ध्यान देने की बजाय शिक्षण की गुणवत्ता और परामर्शदाताओं पर अधिक ध्यान देते हैं, जैसा कि दूसरे संस्थान साक्षात्कार परामर्श या उत्तर लेखन के नाम पर एक दिन का सत्र प्रदान करते हैं और फोटोग्राफ प्रकाशित कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से भ्रामक चीज है और फोटोग्राफ दिखाकर भारी फीस वसूलते हैं और प्रतियोगी सत्य से अनजान होने के कारण उनके दावों का शिकार हो जाते हैं।

– आलोक कुमार रंजन

न्यायिक सेवा क्या है?

जो विद्यार्थी लोक सेवा की ओर झुकाव रखते हैं या राज्य प्राधिकरण में आना चाहते हैं उनके लिए न्यायिक सेवा एक अच्छा विकल्प है। यह न केवल आपके पेशेवर जीवन को विधि के साथ जोड़ता है, बल्कि समाज की भलाई करने का संतुष्टिपूर्ण मौका देता है, बौद्धिक रूप से ऊर्जावान है जहाँ आप आम आदमी के सम्मान करने का आदेश देंगे।

न्यायपालिका का सदस्य होने के लिए दो मार्ग है :

पहला मार्ग, न्यायिक सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा-प्रक्रिया में भाग लेना। न्यायिक सेवा प्रवेश के दो स्तर हैं -

पहला, विधि स्नातकों के लिए राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रवेश परीक्षा द्वारा जैसे-पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालय आदि।

इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम संबंधित लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें विधि विषयों के अलावा अंग्रेजी, सामान्य-ज्ञान, और राज्य की स्थानीय भाषा सम्मिलित है। इस रास्ते के द्वारा आपका प्रवेश, समय पर एवं रोजगार व पदोन्नति प्रदान करने का आश्वासन देता है।

दूसरा मार्ग, जिसके माध्यम से आप न्यायिक सेवा में योगदान दे सकते हैं, वह है- वकालत का अभ्यास जो आपको उच्चतर न्यायिक सेवा तक पहुँचाता है। यह सेवा ऐसे अधिवक्ताओं के लिए खुली है जिन्होंने अधिवक्ता के रूप में कम-से-कम 7 वर्ष तक विधिक कार्य किया हो। अभ्यर्थियों को उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा जो विभिन्न राज्यों द्वारा उच्च न्यायालयों के लिए आयोजित कराई जाती है, वह उच्चतर न्यायिक सेवा कही जाती है, इसका पाठ्यक्रम ऊपर बताए गए पाठ्यक्रम जैसा ही होता है। इस विकल्प का लाभ यह है कि चयनित अभ्यर्थी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होता है, वह प्रोन्नति के माध्यम से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। यदि आप सुरक्षित और सुनिश्चित कैरियर चाहते हैं एवं लोक सेवा में आने की इच्छा तथा दूसरों के मुकदमें लड़ने की झंझट से निकलकर सुविधाजनक नियमित उच्च आय प्राप्त करना चाहते हैं, तो न्यायिक सेवा आपके लिए सही विकल्प है।

न्यायिक सेवा परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण किया जा सकता है?

एक संक्षिप्त परिचय

विधि एक रोचक विषय :

विधि एक ऐसा विषय है जो रोचक एवं व्यवहारिक होने के अलावा ज्यादातर अवधारणा और विश्लेषण पर आधारित है। वर्तमान में यह कैरियर का बहुत अच्छा अवसर उपलब्ध कराता है। न्यायिक सेवा के लिए परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है अर्थात प्रारम्भिक, मुख्य और साक्षात्कार। इसलिए जब भी तैयारी करें तीनों चरणों को ध्यान में रखकर ही करें।

ambitionlawinstitute.com

प्रारम्भिक परीक्षा

प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवश्यकताएँ :

1. बेयर एक्ट से मूल विधि और उदाहरणों (दृष्टांतो) को समझना
2. महत्त्वपूर्ण वाद निर्णयों को समझना अर्थात विभिन्न तथ्यात्मक परिस्थितियों में कानूनी (विधिक) अवधारणाओं का उपयोग।
3. विधिक परिवर्तनों के अलावा तथ्यात्मक जानकारी 'अस्थायी भिन्नता' व निर्णयों के विषय में जानना।
4. विधिक सूक्तियों (विधिक नीति वचन) का अर्थ और उपयोग।

मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की बनावट समझने के लिए एक विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने की आवश्यकता होती है जिससे एक अच्छा, स्पष्ट और सम्पूर्ण उत्तर लेखन में मदद हो। मुख्यत: प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में अन्तर पाठ्यक्रम का नहीं बल्कि, उत्तर प्रस्तुतीकरण के सही तरीके के साथ निष्कर्ष पर पहुँचने का है। मुख्य परीक्षा विचारों के पुनरूत्पादन की मांग करती है, जबकि प्रारम्भिक परीक्षा में सही विकल्प चुनने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों को मुख्य और प्रारम्भिक परीक्षा दोनों की तैयारी साथ-साथ करनी चाहिए। एक असाधारण सोच व रणनीति के साथ चयनित भागों पर जोर देकर ठोस तैयारी के लिए प्रभावशाली अध्ययन की आवश्यकता होती है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर एक नजर डालना बहुत सहायक हो सकता है।

विश्वविद्यालय की (एल.एल.बी.) परीक्षा में आप पाँच-छह पृष्ठों के विस्तृत उत्तर लिखते हैं, लेकिन न्यायिक सेवा परीक्षा में आपको संक्षेप में उत्तर देने को कहा जाता है। न्यायिक व लोक सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए दो दृष्टिकोण हैं- एक क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर।

प्रारम्भिक परीक्षा के लिए सर्वप्रथम आपको विस्तार से पढ़ना होता है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने के लिए तैयार होना पड़ता है।

बेयर एक्ट से कूटानुवाद करके पढ़ना आपकी क्षैतिज तैयारी को समाविष्ट करता है। आप एक भी बिंदु को छोड़ना वहन नहीं कर सकते हैं।

इस दृष्टिकोण से तैयारी पूरी करने के बाद आपको ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण से तैयारी शुरू करनी चाहिए जो आपको मुख्य परीक्षा (बैल की आंख) अर्थात केन्द्र बिंदु तक पहुँचने में सफल बनाएगा।

यह विधिक विषयों का गहन अध्ययन है जहाँ आपको प्रत्येक विषय को पूरी तरह से तैयार करना होगा। इसके लिए हम आपको पाठ्य-पुस्तक दृष्टिकोण के अलावा प्रश्न उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते है और आप 5-20 प्रश्नों के द्वारा ही एक विषय तैयार कर सकते हैं। एक साधारण पाठय-पुस्तक इस दृष्टिकोण का पालन नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए जब हम सर्वोच्च न्यायालय के हाल के आदेश को देखें जिसमें जाँच ऐजेंसियों पर नार्को टेस्ट के लिए रोक लगाई गयी है, का अध्ययन करते हैं तो इसके लिए हमें विभिन्न विधियों जैसे-साक्ष्य विधि, दण्ड-प्रक्रिया संहिता और संवैधानिक विधि का गहन अध्ययन करना चाहिए। इस तरह से, प्रत्येक विषय का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए।

इन परीक्षाओं में विधि के लगभग 20 मुख्य और कुछ गौण विषय हैं। अलग-अलग राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए आपकों पाँच से दस प्रतिशत अतिरिक्त तैयारी करनी पड़ेगी। दिल्ली में सम्पत्ति अंतरण अधिनियम नहीं है, लेकिन पंजाब और हरियाणा की न्यायिक सेवाओं के लिए आपको प्रचलित विधि जो पारिवारिक मामलों (विवाह, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण आदि) से संबंधित हैं की तैयारी करनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के लिए आपको स्थानीय विधियों को पढ़ना होगा जैसे उत्तर प्रदेश भूमि कानून दिल्ली की परीक्षा में दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम से प्रश्न पूछे जाते हैं। विधि को सीखने का अन्य तरीका समूह में अध्ययन करना है। आप समूह बनाकर अध्ययन करते हैं तो यह आपकी लंबे समय तक प्रावधानों को याद रखने में मदद कर सकता है। विधि की पुस्तकों में प्रत्येक कालानुक्रम तक पूर्ण और याद रखने में आसान है। संविधान के मामले में यदि हम सरकार और इसकी शक्तियों के विषय में बात करते हैं तो यह देश, क्षेत्र और नागरिकता से शुरू होकर राज्य एवं संघ शासित प्रदेश और पंचायत के पहले भाग से दसवें भाग पर समाप्त हो जाती है। भाग सात को 1956 में संविधान में संशोधन करके समाप्त कर दिया गया था। दिलचस्प है कि भाग 7 को समाप्त करने के लिए सातवां संशोधन अधिनियम लाया गया था। समूह विधि के अनुसार, पहले चार भागों में देश और इसकी जनता से सम्बंधित प्रावधान हैं जबकि अगले पाँच भागों में देश के प्रशासन, विधायन और न्यायिक ढाँचे के विषय में प्रावधान हैं। भाग 5 भारत संघ से प्रारम्भ होकर भाग 9 में पंचायत व्यवस्था पर समाप्त होता है।

विधि : कूटबद्ध सामान्य समझ :

विधि कुछ और नहीं बल्कि सामान्य समझ को कूटबद्ध करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसने विधि को निश्चित किया? हमारे पास विधि वर्तमान स्वरूप में कैसे पहुँची? तो मैं आपकों बताना चाहूँगा कि विधि को अंतिम चरण तक इस स्वरूप में पहुँचाने में विधि बनाने वालों की सामान्य समझ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विद्यार्थियों को आरम्भ से ही यह समझना होगा कि बेयर एक्ट के महत्त्व को समझने के लिए पहले दिन से ही सामान्य समझ और तर्क को इस्तेमाल करना चाहिए। अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं कि क्या हो रहा है? मुख्यत: महत्त्वपूर्ण यह कि ऐसा क्यों हो रहा है? से सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है और आप उनसे क्या सीख सकते हैं? और उस सीखने की कला में कितने बुद्धिमान है। असामान्य होना यह है कि कई बार विद्यार्थी अपने चारों ओर घट रही समस्याओं का पता लगाने के प्रति अनिच्छुक होते हैं इसी वजह से वह अपने चारों ओर की घटनाओं से सीखने में असमर्थ होते हैं और सामान्य समझ का प्रयोग नहीं करते और असफल हो जाते हैं।

छात्रों के लिए परीक्षा भवन में सामान्य समझ के प्रयोग की अधिक आवश्यकता होती है। आपको सामान्य समझ का प्रयोग करने के लिए पी.एच.डी. की आवश्यकता नहीं बल्कि, यह एक विशेषता है जो समय के साथ विकसित होती है। आपने यह पंक्ति अवश्य सुनी होगी कि, "सामान्य समझ इतनी सामान्य नहीं है।" इसके पीछे का कारण यह है

कि विद्यार्थियों के दिमाग असफलता के डर के दबाव से पहले ही घिरे हुए हैं। जिसके कारण विद्यार्थी साधारण चीजों को मुश्किल बना देते हैं। इसलिए शांत रहिए और सबसे आगे रहिए।

विधि-केवल धाराओं और निर्णय-विधि के विषय में नहीं

विधि के विषय में एक सामान्य भ्रांति है कि यह बहुत विस्तृत है और केवल प्रावधानों को सम्मिलित करता है। विधि की गंभीर समझ इसको वास्तव में एक रूचिकर रचना में बदल देगी। यह सामान्य-समझ और तर्क पर आधारित विषय है और कोई भी इसे सीख सकता है। एक व्यापक वैचारिक आधार को विकसित करके तथा अन्य प्रसंगो तथा विषयों के साथ जोड़कर पढ़ना इसके अध्ययन को दिलचस्प बनाता है। यह प्रक्रिया समझने में सहायता करती है तथा याददाश्त और पुनरूत्पत्ति को सरल बनाती है। पिछले वर्षो के प्रश्न दर्शाते हैं कि कई बार प्रश्नों की केवल पुनरावृत्ति ही नहीं होती बल्कि उन क्षेत्रों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें अभी स्पर्श ही नहीं किया गया है। वर्तमान उन्नति, घटनाएँ भी प्रश्न-पत्र संयोजक के मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, और वह एक ही क्षेत्र से ऐसे नये मुद्दों को उठाते हैं। कुछ विषय जैसे संविधान, दण्ड-प्रक्रिया संहिता, सिविल-प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य-विधि, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की प्रकृति बहुत प्रगतिशील है जो विद्यार्थियों के समक्ष समस्याएँ उत्पन्न करते हैं, इन प्रश्नों की प्रकृति बहुत आसान होती है, अतः इनमें अच्छे परिणाम की संभावना अधिक होती है। इसलिए इन विषयों में अध्ययन का दृष्टिकोण और उत्तर-लेखन का तरीका भिन्न होना चाहिए अतः कुछ विषयों को विश्लेषण और समझ के अलावा वर्तमान-कालिक विकास की भी आवश्यकता होती है, जबकि अन्य विषय बेयर एक्ट के उन्मुखीकरण के साथ निर्णय-विधियों के उदाहरण की माँग करते हैं।

तैयारी के लिए योजना/तैयारी की रणनीति :

इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक अलग तरह के दृष्टिकोण व रणनीति की आवश्यकता होती है, जिसमें वास्तविक पाठ्यक्रम को समझना, प्रश्न व विषय की मांग, उत्तर-लेखन की कला तथा इसको सही समय पर प्रस्तुत करने की प्रतिभा शामिल हैं। यह न्यूनतम अपेक्षा न्यायिक व सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र से की जाती है। न्यायिक सेवा के अभ्यर्थी को अपनी प्रस्तुति में श्रेष्ठता के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसे प्राप्त करने का प्रथम चरण विषय की गहन समझ व उचित ज्ञान रखना जो एक निश्चित अवधि में कठिन परिश्रम व समर्थ और योग्य निर्देशन के माध्यम से आ सकती है। एम्बिशन में हमने वास्तविक पाठ्यक्रम को तैयार किया है, जो विगत वर्षो के प्रश्न-पत्रों में दृष्टिगोचर होता है। परीक्षा के लिए अध्ययन किए जाने वाले अधिक प्रासंगिक व प्रासंगिक विषय में अन्तर है। हम उनमें से अधिकतम प्रासंगिक चीजों को जानते हैं परन्तु अधिक प्रासंगिक चीजों को जानने में असमर्थ है, अधिक प्रासंगिक चीजों को जानना हमारे अध्ययन को सटीक एवं परीक्षा उन्मुख बनाता है। हम अपना शिक्षण पाठ्यक्रम केवल परीक्षा के अनुरूप ही तैयार नहीं करते बल्कि विगत वर्षो के प्रश्न-पत्रों को भी हल करवाते हैं और उन प्रश्नों के भी उत्तर देने का प्रयास करते है, जिनका हमारे विचार में परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है।

प्रभावकारी अध्ययन :

संक्षेप में, प्रभावकारी अध्ययन में लिखित या वस्तुनिष्ठ अथवा आत्मनिष्ठ परीक्षा के लिए विद्यार्थी को तीन महत्त्वपूर्ण पहलूओं को समाविष्ट करना चाहिए –

1. विधिक सिद्धांतों और संविधि को संक्षिप्त करना, तत्त्वों के सरल कथन जो व्यवहार में लागू होने के लिए पर्याप्त हैं। सटीक तत्त्वों की जानकारी के बिना विधिक सिद्धांतों से उपज सकने वाले मुद्दों का पूर्वानुमान करना संभव नहीं।
2. यह कानूनी सिद्धांत के भीतर शब्दों अथवा उक्तियों को समझना या

पूर्वानुमान करना कि जो विषय वाद का स्रोत हो सकते हैं और वे कैसे समस्याओं के रूप में उत्पन्न हो सकते हैं।

3. ऐसी स्थितियों का अवलोकन करना कि, जिनमें विधि के शासन के तत्त्व तथ्यपूर्ण मुद्दों के स्रोत हो सकते हैं। जब तक एक विद्यार्थी स्वयं विधि के नियम के प्रत्येक तत्त्व को दृष्टिगोचर नहीं करता तब तक वह वास्तव में उस विधि के सिद्धांत को नहीं समझ सकता है।

अध्ययन का दृष्टिकोण :

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में अध्ययन का दृष्टिकोण निम्न उद्देश्यों की ओर उन्मुख होना चाहिए:-

1. विद्यार्थी को स्पष्ट वैचारिक आधार विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।
2. विधि-विषयों का अन्य प्रश्न-पत्रों व प्रसंगों के साथ संबंध की समझ।
3. वास्तविक तथ्यपूर्ण स्थिति में विधि को लागू करना।
4. कालिक या स्थानिक विभिन्नताओं को यह विभिन्नता क्यों हुई? के साथ इसका क्या प्रभाव है? का विश्लेषण करना।
5. मुख्य परीक्षाओं में विश्लेषणात्मक विषय-वस्तु को प्रस्तुत करना।
6. मूल बिन्दुओं व प्रसंगों के लिए नवीन प्रणाली का प्रयोग।

उत्तर-लेखन शैली :

सर्वप्रथम संबंधित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर पृष्ठभूमि तैयार करना- सामान्यत: विधि के उत्तर में निम्नलिखित बिन्दु शामिल होने चाहिए-

1. विधि के कथन का वर्णन।
2. बेयर एक्ट या निर्णय-विधि के उदाहरण।
3. एक तर्क-संगत निष्कर्ष

इनके अलावा, विद्यार्थी को निम्नलिखित बिन्दुओं का भी पालन करना चाहिए-

1. उत्तर-लेखन का अ, ब, स अर्थात प्रस्तुत किये जा रहे उत्तर में यथार्थता, संक्षिप्तता और स्पष्टता हो।
2. नवीन उदाहरण और दृष्टांत जो संभवतया विधि की उत्तम तरीके से व्याख्या करें।
3. मुद्दों को सुलझाकर उनके पक्ष या विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करना।

निरंतर अभ्यास व्यक्ति को निपुण बनाता है :

सफलता केवल अभ्यास से प्राप्त की सकती है, जो (अभ्यास) दोषों को प्रदर्शित करता है तथा किसी की भी अच्छी तैयारी में सहायता करता है। ऐसा नहीं है कि विधि केवल निर्णय-विधि, प्रावधानों व तथ्यों के विषय में जैसे की सामान्य धारणा है। अत: इसको ऊपरी तौर पर नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि प्रश्न उठाकर, विषय किस बारे में है? अत: इसकी क्या प्रासंगिकता है? परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जा सकते है? और इसको कैसे रूचिकर बनाया जा सकता है जिससे यह अच्छी तरह याद किया जा सके के लिए विषय का गहन अध्ययन व शोध करना चाहिए।

हम क्या सेवाएँ प्रदान करते हैं :

1. न्यायिक सेवाओं के लिए हम बीस महीनों का बुनियादी (फाउन्डेशन) पाठ्यक्रम, साप्ताहिक पाठ्यक्रम, टेस्ट सीरीज (परीक्षण श्रंखला) व साक्षात्कार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हें।
2. हम विधि के सभी महत्त्वपूर्ण विषयों को पढायेगें उनमें से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ही अधिक ध्यान केन्द्रित करेगें।
3. हम अधिकतम विषयों की अध्ययन सामग्री तो प्रदान करते ही हैं लेकिन कुछ विषयों को अपना 100% देते हैं।
4. जहाँ तक स्थानीय विधियों का संबंध है तो सिवाय उत्तर प्रदेश के उनको विस्तार-पूर्वक नहीं बल्कि परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की संक्षिप्त रूपरेखा बतायी जाएगी, मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थियों को स्थानीय विधि पढ़ायी जाएगी।
5. विशेषत: सामान्य अध्ययन के लिए अतिरिक्त कक्षाएँ होंगी।
6. हम निर्णय-लेखन के लिए भी कक्षाएँ आयोजित कराते हैं।

हम जानते है कि किसी के भी जीवन में कैरियर बहुत महत्त्वपूर्ण होता है अत: यह योजनाबद्ध होना चाहिए और एक चौकन्ने विशेषज्ञ के अधीन उचित तरह से निर्देशित होना चाहिए।

अत: मैं विधि के प्रत्येक विद्यार्थी को दृढ़ता से इन कक्षाओं से जुड़ने की सलाह दूँगा, जो वास्तव में उनके विधि सीखने के दृष्टिकोण में एक परिवर्तन कर देगीं। जैसा कि, हम सब जानते हैं कि विजेता कोई अलग कार्य नहीं करते बल्कि; वह कार्य को ही अलग ढंग से करते हैं और इस विशेष उपक्रम के पीछे हमारा यही उद्देश्य है, ताकि हम दृष्टिकोण में ठीक वैसा ही परिवर्तन ला सकने में सहायक हो जो आपको विजयी बनाए।

LAW AMBITION
LAW INSTITUTE

एम्बिशन के सफल अभ्यर्थी

TOP RANKERS

in UKJS
POONAM TODI

Congratulations
our toppers to make us proud

in UKJS
SUMAN BHANDARI

OTHER SUCCESSFUL CANDIDATES

in UPJS
BHANU PRATAP

in UPJS
ASHUTOSH

in UPJS
AMBRISH KR.

in UPJS
MANOJ KR.

in BJS
MOHD. FIROZ

in BJS
ANOOP KR.

in BJS
CHITRA KUNDAN

in BJS
JUNED ALAM

in JHJS
VAISHALY

in JHJS
MANOJP RAJAPATI

in MPJS
VINOD KUMAR

in MPJS
KISHAN PATEL

in JJS
DEEPAK KUMAR

in JJS
SONI CHADHARY

in HJS
VARSHA SHARMA

in RJS
PANKAJ TIWARI

LAW AMBITION
LAW INSTITUTE

साक्षात्कार -पूनम तोडी

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 में प्रथम स्थान पर चयनित पूनम तोडी के साथ एक अनन्य (विशेष) साक्षात्कार।

प्र.द. आपको न्यायिक सेवा परीक्षा में विलक्षण प्रदर्शन (उल्लेखनीय) एवं शानदार सफलता के लिए हमारी हृदयास्पद शुभकामनाएँ।

उत्तर धन्यवाद सर

प्र.द. अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देंगी?

उत्तर अपने परिवार, गुरूजनों मित्रों एवं अपने संस्थान एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट।

प्र.द. क्या आपने पत्रिकाओं में न्यायिक सेवा टॉपर्स के साक्षात्कारों को पढ़ा है? कहाँ तक उनसे प्रेरणा प्राप्त की व उनके विषय में आपके क्या खयाल हैं?

उत्तर जी हाँ, कभी-कभी पढ़ा है एवं उनसे मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई है।

प्र.द. न्यायिक सेवा के महत्त्व के बारे में आपको जानकारी किस क्षण प्राप्त हुई?

उत्तर जी, जब मैं LL.B. अन्तिम वर्ष में थी तब मैंने इसके महत्त्व को और समझा जबकि इसके महत्त्व के बारे में जानती तो मैं पहले से ही थी।

प्र.द. समय के किस बिन्दु पर आपने इस सेवा को अपने कैरियर के रूप में चुना।

उत्तर एल एल.बी. करने के अन्तिम वर्ष में मैनें इसे पूर्ण रूप से चुना यद्यपि प्रारम्भ से ही मेरी आस्था न्यायिक सेवा में जाने की थी।

प्र.द. न्यायिक सेवा कैरियर की तैयारी की शुरूआत करने पर आपका पहला कदम क्या था?

उत्तर संस्थान का चुनाव एवं तैयारी, इसके लिए मैने दिल्ली जाकर एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया एवं तैयारी शुरू की।

प्र.द. क्या अपनी इस सफलता के प्रति आप आश्वस्त थी और इस विशेष समाचार को सुनकर आपको कैसा लगा?

उत्तर जी, मैं आश्वस्त तो थी ही एवं समाचार सुनकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ क्योंकि न सिर्फ मुझे सफलता मिली बल्कि प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ।

प्र.द. न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए आपकी पहले से क्या कोई योजना थी? क्या आपने इसके बारे में समय से संबंधित रणनीति कोई तैयार की थी?

उत्तर जी हाँ, एल एल.बी. अन्तिम वर्ष में मैंने न्यायिक सेवा में जाने की योजना बनाई।

प्र.द. क्या न्यायिक सेवा आपका अन्तिम लक्ष्य था या इसके साथ अन्य कैरियर अवसरों की तैयारी में भी आप थीं?

उत्तर जी, न्यायिक सेवा ही मेरा प्रथम एवं अन्तिम लक्ष्य था।

प्र.द. यह आपका कौन सा प्रयास था?

उत्तर यह मेरा तृतीय प्रयास था।

प्र.द. क्या आप कुछ चीजों के बारे में बता सकती है जो आपकी तैयारी में दिन-प्रतिदिन आधार थे?

उत्तर जी, सर, विषयों का सम्पूर्ण अध्ययन, पूरी ईमानदारी से तथा निरन्तर अध्ययन।

प्र.द. क्या समय प्रबंधन तैयारी के संबंध में एवं मुख्य परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण कारक है?

उत्तर जी, सर, समय प्रबंधन अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण है।

प्र.द. प्रारम्भिक परीक्षा में किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? परीक्षा हाल में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने से पहले हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए?

उत्तर प्रारम्भिक परीक्षा के लिए बेयर एक्ट का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए तथा परीक्षा हाल में प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देना चाहिए।

प्र.द. मुख्य लिखित परीक्षा में आपकी रणनीति क्या थी?

उत्तर जी, समय का उचित प्रबंधन तथा प्रत्येक प्रश्न को उचित समय देना।

प्र.द. कुछ पत्रिकाओं, समाचार पत्रों एवं पुस्तकों आदि का नाम बताएँ जिसे आपने तैयारी के दौरान पढ़ा है?

उत्तर प्रतियोगिता दर्पण, मेरे क्लास नोट्स, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के प्रिंटिड नोट्स, जजमेंट लॉ टुडे (J.L.T.)

प्र.द. आपने खुद को साक्षात्कार के लिए किस प्रकार तैयार किया? आपका साक्षात्कार कितने समय तक चला?

उत्तर अपने समस्त विषयों का गहन अध्ययन करके, मेरा साक्षात्कार लगभग 30 मिनट चला ।

प्र.द. क्या परिवार की शैक्षणिक एवं आर्थिक दशा भी प्रतियोगी को तैयारी में प्रभावित करती हैं?

उत्तर जी, बिल्कुल ।

प्र.द. आपकी राय में इन परीक्षाओं के सन्दर्भ में पत्रिकाओं की क्या भूमिका है?

उत्तर जी, सर, पत्रिकाओं की भी एक अहम भूमिका है। यह हमारा मार्गदर्शन भी करती है तथा हमें प्रेरित भी करती है।

प्र.द. आपने कोचिंग संस्थान परीक्षा की तैयारी को किस स्तर पर ज्वाइन किया था एवं इसकी क्या भूमिका हैं?

उत्तर जी, मैनें जब तैयारी के बारे में सोचा तो मैने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तथा मेरे संस्थान की मेरी तैयारी में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

प्र.द. आपकी सफलता का रहस्य क्या है?

उत्तर कड़ी मेहनत तथा ईमानदारी से पढ़ना असफलता से निराश न होना एवं धैर्य रखना।

प्र.द. आपका पसंदीदा व्यक्तित्त्व?

उत्तर मेरे मम्मी-पापा

प्र.द. आपका सबल पक्ष?

उत्तर दृढ़ निश्चय

प्र.द. आपका कमजोर पक्ष?

उत्तर भावुकता

प्र.द. आप अन्य प्रतियोगियों को क्या सलाह देन चाहेंगी?

उत्तर आप पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से तैयारी करे तथा धैर्य रखें। असफलता से निराश न हों बल्कि सीखें।

साक्षात्कार - सुमन भंडारी

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा परीक्षा 2019 में चौथे स्थान पर चयनित सुमन भंडारी के साथ एक अनन्य (विशेष) साक्षात्कार।

प्र.द. आपको न्यायिक सेवा परीक्षा में विलक्षण प्रदर्शन उल्लेखनीय एवं शानदार सफलता के लिए हमारी हृदयास्पद शुभकामनाएँ।

सुमन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद

प्र.द. अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देंगी?

सुमन अपने माता-पिता, ईश्वर, गुरूजनों, मित्रों एवं अपने संस्थान एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट, दिल्ली को अपनी सफलता का श्रेय देती हूँ।

प्र.द क्या आपने पत्रिकाओं में न्यायिक सेवा टॉपर्स के साक्षात्कारों को पढ़ा है? कहाँ तक उनसे प्रेरणा प्राप्त की व उनके विषय में आपके क्या खयाल हैं?

सुमन जी हाँ, जब भी मुझे समय मिलता था, मैं टॉपर्स के इन्टरव्यू पढ़ती थी, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती थी।

प्र.द. न्यायिक सेवा के महत्त्व के बारे में आपको जानकारी किस क्षण प्राप्त हुई?

सुमन जब मैं लॉ के अन्तिम वर्ष में थी तब मैंने इसके महत्त्व को समझा।

प्र.द समय के किस बिन्दु पर आपने इस सेवा को अपने कैरियर के रूप में चुना?

सुमन विधि में अन्तिम वर्ष के प्रारम्भ से ही, मैंने इस सेवा को अपने कैरियर के रूप में चुना।

प्र.द. न्यायिक सेवा कैरियर की तैयारी की शुरूआत करने पर आपका पहला कदम क्या था?

सुमन एक अच्छे संस्थान का चुनाव एवं तैयारी।

प्र.द. क्या अपनी इस सफलता के प्रति आप आश्वस्त थी और इस विशेष समाचार को सुनकर आपको कैसा लगा?

सुमन जी हाँ, मैं आश्वस्त तो थी ही एवं समाचार सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, मैंने अपने माता-पिता को सर्वप्रथम इसकी सूचना दी।

प्र.द. न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए आपकी पहले से ही कोई योजना थी? क्या आपने इसके बारे में समय से संबंधित कोई रणनीति तैयार की थी?

सुमन जी हाँ, मैंने विधि के अन्तिम वर्ष से ही इस परीक्षा के विषय में तैयारी करना प्रारम्भ किया था। मैनें मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर-लेखन में समय प्रबंधन व वर्तमान की गतिविधियों को जोड़ने पर बल दिया।

प्र.द. न्यायिक सेवा क्या आपका अन्तिम लक्ष्य था या इसके साथ अन्य कैरियर अवसरों की तैयारी में भी आप थीं?

सुमन मेरा एकमात्र लक्ष्य न्यायिक सेवा ही था।

प्र.द. यह आपका कौन सा प्रयास था।

सुमन तीसरा

प्र.द. क्या आप कुछ चीजों के बारे में बता सकती है जो आपकी तैयारी में दिन-प्रतिदिन आधार थे?

सुमन दैनिक समाचार प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक स्वअध्ययन व लेखन शैली में सुधार करना दिनचर्या का हिस्सा था।

प्र.द. 'समय प्रबंधन' तैयारी के संबंध में एवं मुख्य परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण कारक है?

सुमन जी, सर, समय प्रबंधन अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण है।

प्र.द. प्रारम्भिक परीक्षा में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? परीक्षा हाल में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने से पहले हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए।

सुमन प्रारम्भिक परीक्षा के लिये बेयर एक्ट का विस्तृत अध्ययन करना चाहिये तथा परीक्षा हाल में प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर का चयन करना चाहिए।

प्र.द. मुख्य लिखित परीक्षा में आपकी रणनीति क्या थी?

सुमन मैंने समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया तथा बेहतर उत्तर लेखन के लिये विस्तृत किंतु प्रभावी अध्ययन पर बल दिया।

प्र.द. कुछ पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों, पुस्तकों आदि का नाम बताएँ, जिसे आपने तैयारी के दौरान पढ़ा है।

सुमन प्रतियोगिता दर्पण, क्लास नोट्स, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के प्रिंटिड नोट्स, जे.एल.टी.।

प्रद. आपने अपने को साक्षात्कार के लिए किस प्रकार तैयार किया एवं किस बोर्ड में आपका साक्षात्कार था एवं कितने समय तक चला, क्या प्रश्न पूछे गए।

सुमन मैंने समस्त विषयों का अध्ययन किया, मित्रों से सम्भावित प्रश्नों पर चर्चा की। मेरा साक्षात्कार मेजर जनरल आनंद सिंह रावत जी के बोर्ड में हुआ, मेरा साक्षात्कार 25 मिनट चला, मुझसे स्वयं के विषय में, विधि के प्रश्न समसामयिकी एवं उत्तराखण्ड से संबंधित प्रश्न पूछे गए।

प्र.द. क्या परिवार की शैक्षणिक एवं आर्थिक दशा भी प्रतियोगी को तैयारी में प्रभावित करती हैं।

सुमन शैक्षणिक तो नहीं किन्तु आर्थिक दशा एक सीमा तक प्रभावित करती है।

प्रद. आपकी राय में इन परीक्षाओं के सन्दर्भ में पत्रिकाओं की क्या भूमिका है?

सुमन पत्रिकाओं की इस परीक्षा के दौरान एक अहम भूमिका है, स्वयं को अपडेट रखने एवं पुस्तकों के अतिरिक्त कंटेंट एकत्र करने में सहायक होती है।

प्र.द. क्या आपने कोचिंग संस्थान, परीक्षा की तैयारी के किसी भी स्तर पर ज्वाइन किया था यदि हाँ तो इसकी क्या भूमिका हैं?

सुमन जी, बेहतर निर्देशन प्राप्त करने के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी मेरी इस सफलता में एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट, दिल्ली का बहुत सहयोग रहा।

प्र.द. आपकी सफलता का रहस्य क्या है?

सुमन आत्मविश्वास, धैर्य एवं कभी हार नहीं मानना।

प्र.द. आपका पसंदीदा व्यक्तित्व?

सुमन मेरे माता-पिता

प्र.द. आपका सबल पक्ष?

सुमन सकारात्मक दृष्टिकोण व दृढ़ निश्चय,

प्र.द. आपका कमजोर पक्ष?

सुमन भावुकता

प्र.द. आपके शौक?

सुमन गाने सुनना और नई जगहों में घूमना।

प्रद. आप अन्य प्रतियोगियों को क्या सलाह देना चाहेंगी?

सुमन खुद को प्रोत्साहित और प्रेरित रखें व निरन्तर गलतियों का पुनरावलोकन कर बेहतर करने का प्रयास करें।

■■■

LAW AMBITION LAW INSTITUTE

बिहार न्यायिक सेवा

शैक्षणिक योग्यता	एलएल.बी.
आयु सीमा	22 से 35 वर्ष आरक्षित श्रेणी तथा महिलाओं के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट

परीक्षा की प्रक्रिया

परीक्षा तीन चरणों में होगी-

1. प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय) 250 अंक
2. मुख्य परीक्षा (लिखित) 850 अंक
3. साक्षात्कार 100 अंक

प्रारम्भिक परीक्षा

प्रारम्भिक परीक्षा दो प्रश्न-पत्रों में होगी :

प्रथम प्रश्न-पत्र (समयावधि - 1 घण्टा) 100 अंक

1. सामान्य ज्ञान
2. सामान्य विज्ञान

द्वितीय प्रश्न-पत्र (समयावधि - 2 घण्टे) 150 अंक

1. साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि
2. भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि
3. हिन्दू विधि तथा मुस्लिम विधि
4. संपत्ति अन्तरण विधि, साम्य सिद्धान्त, न्यास विधि, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम
5. संविदा और अपकृत्य विधि
6. वाणिज्यिक विधि -
   - माल विक्रय अधिनियम
   - परक्राम्य लिखत अधिनियम
   - कम्पनी विधि
   - भागीदारी अधिनियम

प्रारम्भिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हतांक 45% तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40% होगा।

मुख्य परीक्षा

अनिवार्य प्रश्न-पत्र :

1. सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित) 150 अंक
2. प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान 100 अंक
3. सामान्य हिन्दी 100 अंक
4. सामान्य अंग्रेजी 100 अंक
5. साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि 150 अंक

नोट: *सामान्य हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी प्रश्न-पत्र में न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्य प्राप्त नहीं माना जाएगा। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएँगे।*

मुख्य परीक्षा के विवरण

1. **सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं की जानकारी सहित) :** इस प्रश्न-पत्र में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा भूगोल, राजव्यवस्था, मुद्राएँ एवं राजधानियाँ, स्थैतिक सामानय ज्ञान के ऐसे प्रश्न पूछे जाएँगे, जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं।
2. **प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान :** इस प्रश्न-पत्र में दैनिक संप्रेक्षण और अनुभव के ऐसे विषयों के वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रश्न पूछे जाएँगे, जिनके संबंध में आशा की जा सकती है कि किसी वैज्ञानिक विषय पर विशेष अध्ययन किए बिना ही किसी भी शिक्षित व्यक्ति को उसकी जानकारी रह सकती है।
3. **सामान्य हिन्दी :**
   - इस प्रश्न-पत्र का स्तर वही होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिन्दी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभिप्रेत हिन्दी का है।

ambitionlawinstitute.com

- इस परीक्षा में (क) उम्मीदवारों को सरल हिन्दी में अपने भावों को स्पष्ट और शुद्ध-शुद्ध व्यक्त करने की सामान्य क्षमता और (ख) परिचित विषयों पर सीधी-सादी हिन्दी की सहज बोध शक्ति की जाँच की जाएगी।
- अंकों का वितरण निम्न प्रकार होगा –

विषय	अंक
निबंध	40
वाक्य विन्यास	30
व्याकरण	30

4. **सामान्य अंग्रेजी :** यह प्रश्न-पत्र उम्मीदवारों की अंग्रेजी की समझ का परीक्षण करता है और अंग्रेजी भाषा लिखने की क्षमता देखता है। इसमें अपठित गद्यांश, संक्षिप्तीकरण लेखन, पत्र लेखन और अन्य इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
5. **साक्ष्य विधि और प्रक्रिया :**
   - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
   - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
   - मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996
   - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
   - प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887

ऐच्छिक प्रश्न-पत्र :

5 विषयों से कोई तीन विषय चुनने का विकल्प होगा। प्रत्येक विषय के लिए 3 घण्टे का समय निर्धारित होगा। (150 × 3 अंक)

1. भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि
2. हिन्दू विधि / मुस्लिम विधि
3. सम्पत्ति अन्तरण और साम्या के सिद्धांत
4. संविदा विधि और अपकृत्य
5. वाणिज्यिक विधि

साक्षात्कार

- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए योग्य होंगे।
- साक्षात्कार 100 अंक का होगा।
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए योग्य होंगे।
- साक्षात्कार 100 अंक का होगा।
- अंतिम चयन सूची में शामिल होने के लिए आपको साक्षात्कार में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना होगा।
- अधिकतम पाँच अवसर उपलब्ध होंगे परीक्षा में भाग लेने के लिए अनारक्षित वर्ग को।

LAW AMBITION LAW INSTITUTE

झारखण्ड न्यायिक सेवा

शैक्षणिक योग्यता	एलएल.बी.
आयु सीमा	22 से 35 वर्ष आरक्षित श्रेणी तथा महिलाओं के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट

परीक्षा की प्रक्रिया

परीक्षा तीन चरणों में होगी-

1. प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय) 100 अंक
2. मुख्य परीक्षा (लिखित) 400 अंक
3. साक्षात्कार 100 अंक

प्रारम्भिक परीक्षा

1. करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान
2. अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
4. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
5. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
6. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
7. भारतीय दण्ड संहिता, 1860

मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्रों का विवरण निम्नलिखित है इसके अंतर्गत चार प्रश्नपत्र होंगे जिनमें प्रत्येक प्रश्नपत्र की अवधि 3 घंटे होगी।

प्रथम प्रश्न-पत्र (समयावधि - 1 घण्टा) 100 अंक

1. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
3. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
5. परिसीमा अधिनियम, 1963

द्वितीय प्रश्न-पत्र (समयावधि - 1 घण्टा) 100 अंक

1. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
2. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
3. माधयस्थतम् और सुलह अधिनियम, 1996
4. माल विक्रय अधिनियम, 1930
5. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

तृतीय प्रश्न-पत्र (समयावधि - 1 घण्टा) 100 अंक

1. मुस्लिम विधि
2. हिंदू विधि
3. विधिशास्त्र
4. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963
5. किराया नियंत्रण विधि

पंचम प्रश्न-पत्र (समयावधि - 1 घण्टा) 100 अंक

अनुवाद, पल्लवन, संक्षेपण और निबंध के साथ अंग्रेजी और हिंदी भाषा का परीक्षण।

साक्षात्कार

1. मौखिक परीक्षा 100 अंकों की होगी।
2. यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी से है तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये उसे कम से कम 25% अंक प्राप्त करने होंगे।
3. SC/ST/EBC/OBC के लिये आवश्यक न्यूनतम अंक 20% है।

ambitionlawinstitute.com

छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा

शैक्षणिक योग्यता	एलएल.बी.
आयु सीमा	21 से 35 वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट

परीक्षा की प्रक्रिया

परीक्षा तीन चरणों में होगी–

1. ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय) 250 अंक
2. मुख्य परीक्षा (लिखित) 100 अंक
3. साक्षात्कार 15 अंक

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा की समय अवधि दो घण्टे होगी, जिसमें 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो निम्न प्रकार के होंगे–

I. भारतीय दण्ड संहिता
II. सिविल प्रक्रिया संहिता
III. दण्ड प्रक्रिया संहिता
IV. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
V. भारतीय संविधान
VI. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम
VII. भारतीय संविदा अधिनियम
VIII. परिसीमा अधिनियम
IX. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011
X. न्यायालय फीस अधिनियम
XI. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम
XII. पंजीकरण अधिनियम
XIII. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता
XIV. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
XV. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1995

मुख्य लिखित परीक्षा

समयावधि – 3 घण्टे

मुख्य परीक्षा के लिए प्रारम्भिक परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों में से रिक्तियों के सापेक्ष 1:10 योग्य उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, मुख्य परीक्षा इस प्रकार होगी–

I. विवाद्यकों का स्थिरीकरण और निर्णय लेखन सिविल मामले पर (40 अंक)

II. आरोपों की विरचना तथा निर्णय लेखन दाण्डिक मामले पर (40 अंक)

III. अनुवाद
(i) अंग्रेजी से हिन्दी 10 अंक
(ii) हिन्दी से अंग्रेजी 10 अंक

साक्षात्कार

मुख्य परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों में रिक्तियों के सापेक्ष 1:3 योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार कुल 15 अंक का होगा।

मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा

शैक्षणिक योग्यता	एलएल.बी.
आयु सीमा	21 से 35 वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 3 वर्ष की छूट

परीक्षा की प्रक्रिया

परीक्षा तीन चरणों में होगी–

1. ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय) 150 अंक
2. मुख्य परीक्षा (लिखित) 400 अंक
3. साक्षात्कार 50 अंक

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा की समय अवधि दो घण्टे होगी, जिसमें 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो निम्न प्रकार के होंगे–

विषय	कुल प्रश्न	अंक
1. भारतीय संविधान	10	10
2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908	15	15
3. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882	07	07
4. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872	08	08
5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963	06	06
6. परिसीमा अधिनियम, 1963	04	04
7. मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961	05	05
8. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959	05	05
9. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	15	15
10. भारतीय दण्ड संहिता, 1860	15	15
11. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973	15	15
12. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881	05	05
13. सामान्य ज्ञान	20	20
14. कम्प्यूटर ज्ञान	10	10
15. अंग्रेजी ज्ञान	10	10

नोट : *इस परीक्षा में कोई ऋणात्मक अंक नहीं काटा जाएगा।*

मुख्य लिखित परीक्षा

मुख्य परीक्षा में कुल 4 प्रश्न-पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न-पत्र 100 अंक का होगा तथा प्रत्येक प्रश्न-पत्र की समय अवधि 3 घण्टे होगी।

विधि प्रश्न-पत्र I (100 अंक)

I. भारतीय संविधान
II. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
III. सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
IV. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
V. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
VI. परिसीमा अधिनियम, 1963

विधि प्रश्न-पत्र II (100 अंक)

I. लेख सामाजिक विषय पर – 30 अंक
II. लेख विधिक विषय पर – 20 अंक
III. संक्षिप्तीकरण लेख – 20 अंक
IV. हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद – 5 अंक
V. अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद – 5 अंक

विधि प्रश्न-पत्र III (100 अंक)

I. म०प्र० स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

II. म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959

III. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

IV. भारतीय दण्ड संहिता, 1860

V. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

VI. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
(धारा 138 से धारा 147 तक)

विधि प्रश्न-पत्र IV (100 अंक)

I. विवाद्यकों का स्थिरीकरण – 10 अंक

II. आरोपों की विरचना – 10 अंक

III. निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II) – 40 अंक

IV. निर्णय/आदेश (दाण्डिक) लेखन (JMFC) – 40 अंक

साक्षात्कार

साक्षात्कार 50 अंक का होगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थी के शैक्षणिक ज्ञान, वार्तालाप कौशल तथा कोर्ट में विभिन्न स्थितियों को संभालने की उसकी रणनीति तथा क्षमता का परीक्षण किया जाएगा।

राजस्थान न्यायिक सेवा

शैक्षणिक योग्यता	एलएल.बी.
आयु सीमा	40 वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट

राजस्थान न्यायिक सेवा का कार्यक्रम

1. सिविल जज के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा, भर्ती प्राधिकरण द्वारा दो चरणों में कराई जाएगी – प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा में योग्य पाए गए उम्मीदवारों के प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्तांकों को अंतिम चयन सूची में नहीं जोड़ा जाएगा।

2. मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या वर्ष में भरी जाने वाले रिक्तियों (श्रेणीवार) की कुल संख्या से 5 गुना होगी, लेकिन उक्त श्रेणी में वे सभी उम्मीदवार शामिल होंगे जो भर्ती प्राधिकरण द्वारा तय अंकों के बराबर प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे।

3. मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, रिक्तियों की कुल संख्या (श्रेणीवार) के तीन गुना की सीमा तक के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए अर्ह घोषित किया जाएगा। सिविल जज के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे –

परीक्षा तीन चरणों में होगी–

1. प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय) – 100 अंक
2. मुख्य परीक्षा (लिखित) – 300 अंक
3. साक्षात्कार – 35 अंक

प्रारम्भिक परीक्षा

प्रारम्भिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसमें विधि प्रश्न-पत्र I तथा विधि प्रश्न-पत्र II के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों को 70% महत्त्व दिया जाएगा और हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता का परीक्षण करने के लिए 30% महत्त्व दिया जाएगा। कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन के लिए नहीं गिना जाएगा।

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

1. **विधि :** वैसा जैसा कि मुख्य परीक्षा के लिए विधि प्रश्न-पत्र I और II निर्धारित किये गए हैं।

2. **हिन्दी ज्ञान :**

- **शब्द प्रकार :** (क) तत्सम, अर्द्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी।
(ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया विशेषण, सम्बन्ध सूचक, विस्मयबोधक निपात)।
- शब्द शुद्धि।

- **व्याकरणिक कोटियाँ :** परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य ।
- **शब्द ज्ञान :** पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों के अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, संश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थक शब्दों को विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली।
- **परिभाषिक शब्दावली :** प्रशासनिक, विविध (विशेषत:)।
- विराम चिन्हों का प्रयोग।
- मुहावरे/लोकोक्तियाँ।
- वाक्य रचना।
- वाक्य शुद्धि।
- **शब्द रचना :** संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय।

3. अंग्रेजी ज्ञान :

(i) Tense

(ii) Articles and determiners

(iii) Phrasal Verbs and Idioms

(iv) Active & Passive Voice

(v) Co-ordination & Subordination

(vi) Direct and Indirect Speech

(vii) Modals expressing various concepts (Obligation, Request, Permission, Prohibition, Intention, Condition, Probability, Possibility, Purpose, Reason, Companions, Contrast)

(viii) Antonyms and Synonyms.

(ix) Legal Maxims

मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :

क्र.सं.	विषय	प्रश्न-पत्र	अंक	समयावधि
1.	विधि	I	100	3 घण्टे
2.	विधि	II	100	3 घण्टे
3.	भाषा	I हिन्दी निबंध	50	2 घण्टे
		II अंग्रेजी निबंध	50	2 घण्टे
4.	साक्षात्कार	-	35	-

मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम

विधि प्रश्न-पत्र-I : भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, राजस्थान भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 200, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882, परिसीमा अधिनियम, 1963, विधियों का निर्वचन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, आदेश/निर्णय लेखन। पेपर उम्मीदवार के सिविल विधि और प्रक्रिया के व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण करने के उद्देश्य से बनाया गया है। जैसे-ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, विवाद्यकों की विरचना, निर्णय लेखन इत्यादि (सिविल मामले में)।

विधि प्रश्न-पत्र-II : दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, (अध्याय-XVII), घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 और आरोप विचरित करना / निर्णय लेखन /प्रश्न-पत्र उम्मीदवार के दाण्डिक विधि और प्रक्रिया के व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण करने के उद्देश्य से बनाया गया है। जैसे - दाण्डिक मामले में आरोपों की विरचना तथा निर्णय लेखन।

भाषा प्रश्न-पत्र-I : हिन्दी निबंध - हिन्दी भाषा में निबंध लिखना।

भाषा प्रश्न-पत्र-II : अंग्रेजी निबंध - अंग्रेजी भाषा में निबंध लिखना।

साक्षात्कार

एक उम्मीदवार का साक्षात्कार, सेवा के लिए नियुक्ति के लिए उपयुक्तता स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में उसके रिकार्ड के संदर्भ में और उसके चरित्र, व्यक्तित्त्व, पते और कार्य के संबंध में परीक्षण किया जाएगा। प्रश्न जो उसके लिए रखे जा सकते हैं, एक सामान्य प्रकृति के हो सकते हैं और जरुरी नहीं कि यह अकादमिक या कानूनी हो। उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान का परीक्षण करने के लिए प्रश्न भी प्रस्तुत किए जाएँगे, जिसमें समसायिकी और वर्तमान समय की समस्याओं का ज्ञान भी शामिल होगा। उम्मीदवारों को राजस्थानी बोलियों में प्रवीणता और राजस्थान के सामाजिक रीति-रिवाजों के बारे में उनके ज्ञान के लिए अंक प्रदान किया जाएगा। इस अंक को प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गये अंकों में जोडा जाएगा।

उ.प्र. न्यायिक सेवा

शैक्षणिक योग्यता	एलएल.बी.
आयु सीमा	22 से 35 वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट

परीक्षा की प्रक्रिया

परीक्षा तीन चरणों में होगी–

1. प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय) 450 अंक
2. मुख्य परीक्षा (लिखित) 1000 अंक
3. साक्षात्कार 100 अंक

क्र.सं.	विषय	कुल प्रश्न	अंक	समयावधि
	प्रारम्भिक परीक्षा			
1.	सामान्य अध्ययन	150	100	2 घण्टे
2.	विधि	300	100	2 घण्टे
	मुख्य परीक्षा			
1.	सामान्य अध्ययन		200	3 घण्टे
2.	अंग्रेजी भाषा		100	3 घण्टे
3.	हिंदी भाषा		100	
4.	विधि–I		200	3 घण्टे
5.	विधि–II		200	3 घण्टे
6.	विधि–III		200	3 घण्टे
	साक्षात्कार		100	

नोट : *प्रारम्भिक परीक्षा में नकारात्मक अंक प्रणाली के रूप में एक तिहाई अंक काटे जाएँगे।*

प्रारम्भिक परीक्षा

1. प्रश्न-पत्र I : सामान्य ज्ञान (50 अंक)

इस प्रश्न-पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएँ और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अन्तरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त 9 अधिनियम का नाम जोड़ना है। इस प्रश्न-पत्र में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

2. प्रश्न-पत्र II : विधि (300 अंक)

इस प्रश्न-पत्र में भारत में तथा विश्व में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र में हो रही प्रतिदिन की घटनाएँ, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं–

I विधि शास्त्र

II अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

III वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रकरण

IV भारतीय संविधान

V सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम

VI भारतीय साक्ष्य अधिनियम

VII भारतीय दण्ड संहिता

VIII सिविल प्रक्रिया संहिता

IX दण्ड प्रक्रिया संहिता

X संविदा विधि

मुख्य परीक्षा

परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे–

1. प्रश्न-पत्र I : सामान्य ज्ञान (200 अंक)

इस प्रश्न-पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत

का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएँ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रश्न-पत्र में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

2. प्रश्न-पत्र II – भाषा (200 अंक)

इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार के चार प्रश्न समाविष्ट होंगे :

(i)	अंग्रेजी में लिखित एक निबंध	60 अंक
(ii)	अंग्रेजी में सार लेखन	60 अंक
(iii)	हिन्दी से अंग्रेजी में परिच्छेद का अनुवाद	40 अंक
(iv)	अंग्रेजी से हिन्दी में परिच्छेद का अनुवाद	40 अंक

3. प्रश्न-पत्र III – भाषा (100 अंक)

इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार से तीन प्रश्न समाविष्ट होंगे :

(i)	निबंध	50 अंक
(ii)	सारांश लेखन	30 अंक
(iii)	हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद	20 अंक

4. प्रश्न-पत्र V – विधि-1 (मौलिक विधि) 200 अंक

इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार के प्रश्न समाविष्ट होंगे :

(i) संविदा विधि, 1872

(ii) भागीदारी अधिनियम, 1932

(iii) सुखाधिकार और अपकृत्यों संबंधी विधि

(iv) सम्पत्ति के अन्तरण से संबंधित विधि जिसमें विशेषकर उस पर लागू साम्या के सिद्धान्त सम्मिलित होंगे।

(v) न्याय एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष की विधि के विशेष सन्दर्भ में साम्या के सिद्धान्त

(vi) हिन्दू विधि तथा मुस्लिम विधि

(vii) सांविधानिक विधि

नोट : *50 अकों का प्रश्न केवल सांविधानिक विधि से संबंधित होगा।*

5. प्रश्न-पत्र IV – विधि-2 (प्रक्रिया एवं साक्ष्य) 200 अंक

इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार के प्रश्न समाविष्ट होंगे :

(i) साक्ष्य विधि, 1872

(ii) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

(iii) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

(iv) अभिवचन के सिद्धान्त

दिये गए प्रश्न मुख्यत: व्यवहारिक मामलों से संबंधित होंगे, जैसे कि सामान्यत: आरोपों और वाद बिन्दुओं की विरचना, गवाहों के साक्ष्यों के साथ व्यवहार की विधियाँ, निर्णयों का लेखन और वादों का संचालन, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

5. प्रश्न-पत्र VI – विधि-3 (दाण्डिक, राजस्व और स्थानीय विधियाँ) **200 अंक**

इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार के प्रश्न समाविष्ट होंगे –

(i) भारतीय दण्ड संहिता

(ii) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006

(iii) उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 2021

(iv) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 19

(v) उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम

(vi) उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953

(vii) उत्तर प्रदेश नगर (नियोजन और विकास) अधिनियम, 1973

(viii) अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के साथ

***नोट** : स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दाण्डिक विधियों से संबंधित प्रश्न 50 अकों के होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों के प्रश्न 450 अकों के होंगे।*

साक्षात्कार

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियोजन के लिए अभ्यर्थी को उपयुक्तता का परीक्षण, उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्त्व और शारीरिक सौष्ठव पर सम्यक ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : अभ्यर्थी के लिए सामान्य ज्ञान और विधि प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा

नोट: (1) साक्षात्कार में प्राप्त किये गए अंकों को लिखित *प्रश्न-पत्रों में प्राप्त किए गए अंकों में जोड़ा जाएगा और अभ्यर्थी का स्थान दोनों के कुल योग पर निर्भर करेगा।*

(2) *आयोग किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा जिसने विधि प्रश्न-पत्रों में इतने अंक प्राप्त न किए हों, जो कि उसके द्वारा ऐसे इनकार को न्यायोचित ठहराए।*

परीक्षा में शामिल होने के लिए अनारक्षित वर्ग को अधिकतम चार अवसर प्राप्त होंगे।

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा

शैक्षणिक योग्यता	एलएल.बी.
आयु सीमा	35 वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट

परीक्षा की प्रक्रिया

परीक्षा तीन चरणों में होगी-

1. प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय) 200 अंक
2. मुख्य परीक्षा (लिखित) 850 अंक
3. साक्षात्कार 100 अंक

प्रारम्भिक परीक्षा

नोट : ऋणात्मक मूल्यांकन को रूप में एक-चौथाई अंक काटे जाएँगे।

भाग-I : सामान्य ज्ञान 50 अंक

भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन-प्रतिदिन की घटनाएँ सम्मिलित की जाएगी। प्रश्न मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम लागू विधान विशेषकर भारतीय संविधान, विधि और विकास तथा विधिक मामले परन्तु ये यहीं तक ही सीमित नहीं होंगे।

भाग-II : इसमें निम्न अधिनियम एवं विधियाँ सम्मिलित होंगी- (150 अंक)

(i) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम

(ii) हिन्दू विधि के सिद्धान्त

(iii) मुस्लिम विधि के सिद्धान्त

(iv) साक्ष्य अधिनियम

(v) दण्ड प्रक्रिया संहिता

(vi) भारतीय दण्ड संहिता

(vii) सिविल प्रक्रिया संहिता

मुख्य परीक्षा

1. वर्तमान परिदृश्य 150 अंक

यह प्रश्न-पत्र भारत और विश्व में वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, पर अभ्यर्थियों के ज्ञान की प्रतिक्रिया के परीक्षण के लिए है। सामान्यत: वर्तमान परिदृश्य में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र की ओर उसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने वाले प्रश्नों के उत्तर सरल प्रकृति के होंगे जो मुख्यत:-

(i) विधि शास्त्र

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता

(iii) नवीनतम विधायन एवं विशेष क्रम में भारतीय संवैधानिक विधि और विकास

2. भाषा (100 अंक)

(i) अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद 30 अंक

(ii) हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद 30 अंक

(iii) संक्षिप्तीकरण लेखन 40 अंक

3. विधि प्रश्न-पत्र-I (मौलिक विधि) 200 अंक

(i) संविदा विधि

(ii) भागीदारी विधि

(iii) सुखाचार अधिनियम

(iv) अपकृत्य विधि

(v) सम्पत्ति अन्तरण के अन्तर्गत जिसमें साम्या का सिद्धान्त भी सम्मिलित है।

(a) न्यास (b) विनिर्दिष्ट अनुतोष

(vi) हिन्दू विधि

(vii) मुस्लिम विधि

4. विधि प्रश्न-पत्र I प्रक्रिया और साक्ष्य (200 अंक)

(i) साक्ष्य विधि

(ii) *दण्ड प्रक्रिया संहिता*

(iii) सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसमें अभिवचन के सिद्धान्त भी सम्मिलित है।

प्रश्न-पत्र में मुख्यतः व्यवहारिक मामलों, जैसे आरोप और विवाद्यक बनाना, साक्षियों से साक्ष्य ग्रहण करने का तरीका, निर्णय लेखन तथा मामलों को सामान्यतया व्यक्त करना आदि होगा, परन्तु यह इन्हीं विषयों तक सीमित नहीं होगा।

5. विधि प्रश्न-पत्र III : राजस्व और दाण्डिक (200 अंक)

(i) *भारतीय दण्ड संहिता*

(ii) *उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम (जैसा कि उत्तराखण्ड में लागू है)*

नोट : अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा होगी कि यह विधि के समस्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर देते समय नवीनतम निर्णय तथा महत्त्वपूर्ण मामलों को उनमें उल्लिखित करें।

6. कम्प्यूटर ज्ञान (प्रयोगात्मक परीक्षा)

माइक्रोसॉफ्ट विण्डोज आपरेटिंग सिस्टम और माइक्रो ऑफिस (अधिकतम अंक-100, न्यूनतम योग्यता अंक-40, समय सीमा-1 घण्टा) प्रश्न-पत्र निम्न दिए गए विस्तार पाठ्यक्रम में से प्रत्येक खण्ड से एक-एक प्रश्न पूछा जाएगा-

(i) विण्डोज और इण्टरनेट (ii) एम.एस.वर्ड

(iii) एम.एस. एक्सेस (iv) एम.एस. एक्सेल

(v) एम.एस. पावर प्वाइंट

प्रत्येक प्रश्न-पत्र में चार अंक वाले सिस्टम पर किये जाने वाले पांच प्रश्न होंगे। आउटपुट का प्रिंट आउट लिया जाएगा और मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा।

साक्षात्कार

व्यक्तित्त्व परीक्षा : न्यायिक सेवा में सेवायोजन को लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता उसको विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अभिलेखों और उसके बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के सन्दर्भ में देखी जाएगी। उसके सम्मुख जो प्रश्न रखे जाएँगे वह सामान्य प्रकृति के होंगे और यह आवश्यक नहीं होगा कि वे शैक्षिक अथवा विधिक प्रकृति के ही हों।

टिप्पणी:

1. व्यक्तित्त्व परीक्षा में प्राप्त अंक, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अकों में जोड़ दिये जाएँगे।
2. आयोग को पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी। अभ्यर्थी को, जिसने विधि प्रश्न पत्रों में निर्धारित अंक प्राप्त न किये हों, जैसा व्यक्तित्त्व परीक्षण में आमंत्रित करने के लिए आवश्यक हों अथवा देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का पर्याप्त ज्ञान न हो, व्यक्तित्त्व परीक्षा के लिए आमंत्रित करने से मना कर सकते हैं।

इस प्रयोजन के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट के क्रम में कई उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। किसी भी व्यक्तिगत विषय के लिए या व्यक्ति परीक्षण के लिए अलग-अलग उत्तीर्ण अंक नहीं होंगे और प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता सभी लिखित प्रश्न-पत्रों और व्यक्तिगत परीक्षण में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। आयोग के पास कुल अंकों में योग्यता अंक तय करने का स्वविवेक होगा।

ख्याति एवं साहचर्य

श्री आलोक कुमार रंजन 'एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट' दिल्ली के संस्थापक निदेशक के रूप में अपने 21 वर्षों के कार्यकाल में एक योग्य शैक्षणिक प्रशासक, ओजस्वी संस्था के निर्माता और लोकप्रिय विधि शिक्षक के रूप में स्वीकार किये गए हैं। अगर आज देश के सर्वोत्तम विधि संस्थान में से एक के रूप में 'एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट' की गिनती होती है तो, उसके लिए मिलने वाले यश में अधिकांश श्रेय श्री आलोक कुमार रंजन महोदय के अथक प्रयास एवं स्वयं को जाँचने वाले नेतृत्त्व को जाता है। श्रीमान रंजन बिल्कुल अनजान रूप में दिल्ली आए थे और एक दशक से भी कम समय में विधि के सर्वोत्तम ज्ञात शिक्षक बन गए हैं। उनके लिए विद्यार्थियों का कल्याण ही प्रथम उद्देश्य हैं और वे अपने विद्यार्थियों के सीखने के अवसरों को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों तक पहुँचने में भी संकोच नहीं करते। निःसंदेह ज्ञान और तर्क का प्रयोग करके और अपने अनुगामियों को लुभाकर कठिन समस्याओं को हल करने की अनोखी दक्षता है। श्री रंजन महोदय की प्रसिद्ध साख यहाँ पर उनके अति उत्तम शैक्षणिक कौशल और उच्च श्रेणी का शिक्षक होने का स्पष्ट साक्ष्य है।

Confederation of Indian Bar

DELHI BAR ASSOCIATION

CERTIFICATE OF HONOUR

NATIONAL SEMINAR

Certificate Of Participation

Honours Awards Associations

डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University

This is to certify that **Mr. Alok Kumar Ranjan, Director, Ambition Law Institute, Delhi,** delivered a special lecture on ***"Strategy for Judicial and Civil Services Examination"***. His impeccable knowledge & exclusive mode of teaching law through innovative techniques has been hugely appreciated by the faculties and students.

His strategy and approach of dealing with law is really beneficial for competitive exam aspirants.

We wish him all the best.

(Dr. A.P.Singh)
Chief Proctor
Coordinator
Centre for Law and Religion
RML National Law University
Lucknow (U.P.)

Chanakya National Law University
NYAYA NAGAR, MITHAPUR, PATNA - 800 001
Prof. Dr. A. Lakshminath
Vice-Chancellor

Dated: 18.03.2012

To

Shri Alok Kumar Ranjan,
Director,
Ambition Law Institute,
130, Virat Bhawan,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110 009.

Dear Mr. Alok Kumar Ranjan Jee,

I am immensely happy for complying with my request to deliver two lectures on "How to Prepare for Judicial Services and other Law Examinations" to the students of our University. The students and the faculty were extremely happy at the way in which you have delivered your lecture. The methodology you have adopted was quite impressive and the faculty in particular was highly appreciative of your lecture. The students rated you high as far as the utility of your lecture is concerned for preparing themselves for the competitive examinations.

I wish you all the best and I will be happy if you can enlighten the students and faculty of this University on future occasions too.

Thanking you,

With blessings and best wishes,

Yours Sincerely,

Vice-Chancellor

Mewar Institute

To
Mr. Alok Kumar Ranjan
Director

Thanking You

Yours Sincerely

Coordinator

University of Kashmir
Center for Career Planning and Counselling
Srinagar

Dear Mr. Ranjan,

Yours Sincerely,

Faculty of Law
The ICFAI University
Dehradun

Dear Mr. Alok,

With kind regards.

Associations Honours Awards

Excerpts *from* Hindustan Times

choice

...ome up in ...aduates to ...

...as good as not touching the topic at all," adds Shah.

Customised preparation

In a university exam (in LLB), you tend to write ...

To crack the exam you must update your knowledge

Alok Kumar Ranjan, director, Ambition Law Institute

(CPC) and code of criminal procedure (CrPC) — are easy to understand but before studying them one should have first hand knowledge of substantive law and then only its enforcement through ...

word 'appropriation' in section 23 of the sales of goods act. Try asking questions around this word. Who will do the appropriation? How will that be done? Etc. Finding suitable answers to these call for an innovative approach. You must be able to analyse and compare different provisions of the act.

Analytical approach

As there are many similar/common concepts in different subjects having the same underlying philosophy and conceptual content, they should be studied in comparative mode, which helps better retention and superior understanding. For example, if we study President, Governor and Vice President in a comparative manner then it becomes very easy to understand.

Grouping method

JUDGES ARE PAID WELL

A civil judge shares his experience of cracking the judicial services exam

After finishing my LLB in 2004 from the University of Delhi, I took admission in LLM programme with an aim to become a law professor afterwards. During my postgraduation, I ran into a friend-cum-senior who had just cleared his IAS that time. He advised me to reconsider my ...

EXAM CHECK

- Punjab judicial services exam will be held on August 8 and the last date to apply is June 17
- Madhya Pradesh judicial services exam will be held on August 8 and the last date to apply is already over
- Haryana judicial services exam will be held on July 11 (last date to apply has expired)
- Delhi judicial services (mains) will held in June

Gujarat National Law University

Gandhinagar, Gujarat, India

G D GOENKA UNIVERSITY

Prof. (Dr.) Sanjeevi Shanthakumar — April 21, 2017

Dean (Academics) & Dean, School of Law

To

Mr. Alok Ranjan
Director
Ambition Law Institute
New Delhi

Dear Mr. Alok Ranjan

I deem it a privilege and honour to have you as a Guest Speaker on our Campus on 20th of April 2017 to deliver a motivational talk to our students on the topic: "**Strategies for preparing for Judicial Services Examination.**"

I am grateful to you for your valuable time that you spent with our students sharing your wisdom and valuable experiences. Our students felt highly motivated after your talk and many of them have shown interest in preparing for the Judicial Services Examination and joining the judiciary.

I am eagerly looking forward for your continued patronage, support and cooperation in the years to come to motivate each and every batch of students we admit in our Law School.

Thanks once again.

With best regards

Prof. (Dr.) S. Shanthakumar
Dean, School of Law

Director Alok Kr. Ranjan delivering the key note speech at
SGT University, presided by Justice Reva Khetrapal

Director Alok Kr. Ranjan with
Eminent Jurist,
humanist Professor B.B. Pande Sir

Director Alok Kr. Ranjan being
welcomed by
Padma Shri - Mr. P.H. Parekh

Director Alok Kr. Ranjan
with V.C., RMLNLU

Director Alok Kr. Ranjan being honoured by
Mr. Ved Prakash Sharma, President, DBA

Director Alok Kr. Ranjan receiving memento from
Mr. B. Kumar Dean, ICFAI University, Dehradun

Ambition Gold Medal to
Santanu Tyagi, Gujarat Judicial Topper

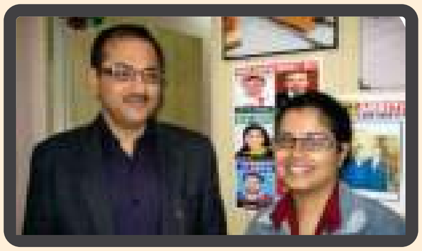

Director Alok Kr. Ranjan with
Deepti (DJS Topper)

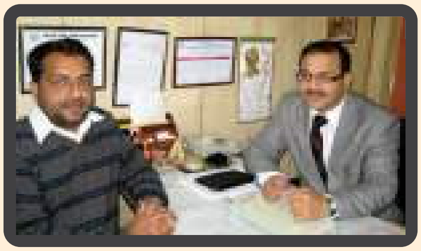

Director Alok Kr. Ranjan with
Sharib Ali, U.P. Judicial Topper

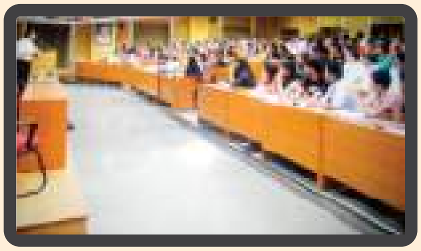

Director Alok Kr. Ranjan
delivering a lecture at
RMLNLU, Lucknow

Director Alok Kr. Ranjan with
Apoorva [IAS, 19th Rank]
and Vichitra Veer (IPS)
at Ambition Law Institute

Director Alok Kr. Ranjan with
Shantanu Tyagi (Gujarat Judicial Topper),
Shrini Divesh and Professor A.P. Singh

LAW AMBITION LAW INSTITUTE

Hakikat Dhanda, Himachal Judicial Topper addressing students at Ambition

M.P. Topper & Selected Judges

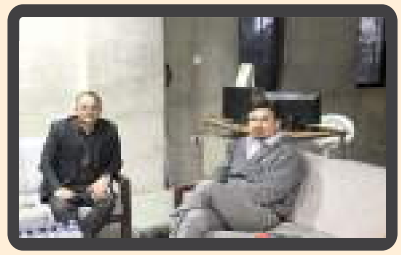
Sir with Mr. Hitesh Kumar Thakkar Convenor, GCGC, GNLU (Gujarat)

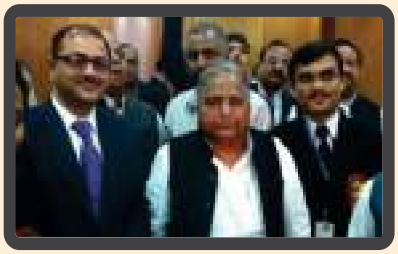
Director Alok Kr. Ranjan with Mr. Mulayam Singh Yadav at RMLNLU Convocation

Director Alok Kr. Ranjan with Bihar Judicial Toppers, delivering interview lectures to them.

Director Alok Kr. Ranjan delivering a lecture at Vivekananda Institute of Professional Studies (VIPS) Pitampura, Delhi

Director Alok Kr. Ranjan with U.P. and M.P. Judicial Toppers

Director Alok Kr. Ranjan delivering a lecture at TMU, Bhagalpur

Director Alok Kr. Ranjan with Dr. V.K. Ahuja Professor Incharge LC-II, Delhi University

Director Alok Kr. Ranjan with Mr. Bharat Gandhi

Director Alok Kr. Ranjan being greeted by RMLNLU students

Director Alok Kr. Ranjan with Vice Chancellor of RMLNLU, Lucknow

Director Alok Kr. Ranjan with Prof. (Dr.) Anil Dawra at GD Goenka University School of Law, Gurgaon

Director Alok Kr. Ranjan with Major General (Retd.) P.K. Sharma at Amity Law School, Amit University, Manesar, Haryana

Director Alok Kr. Ranjan addressing the conference

AVAILABLE STUDY MATERIAL

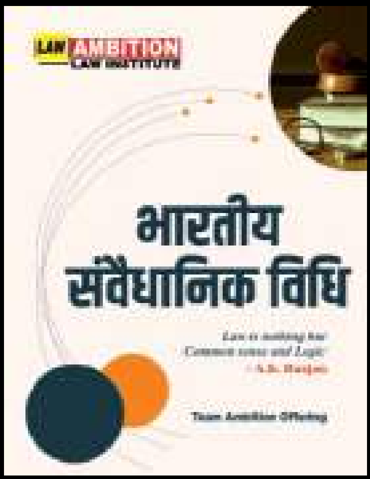

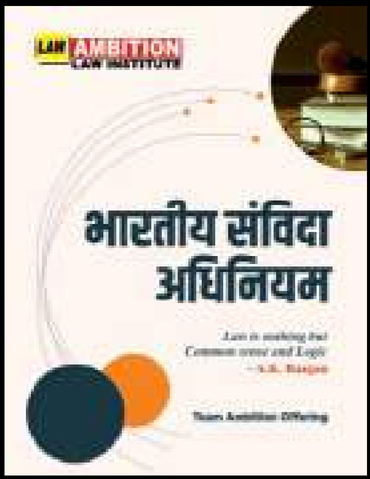

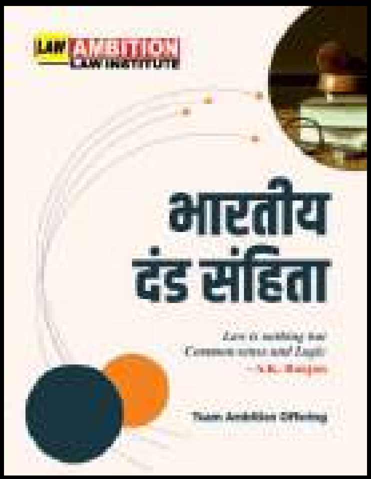

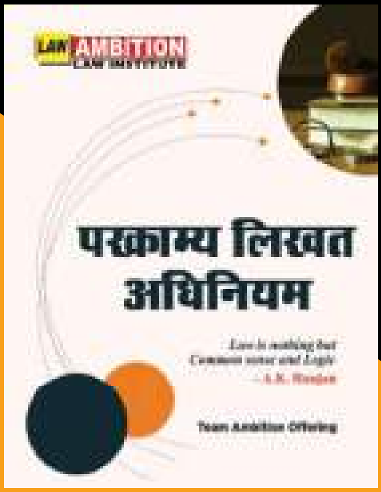

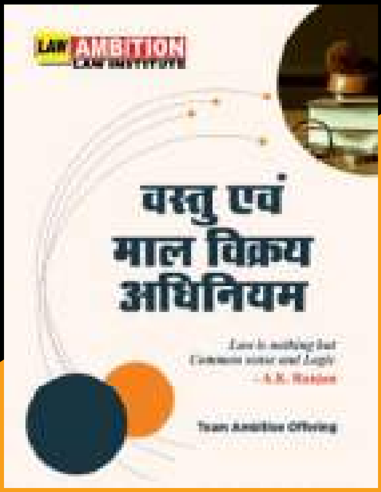

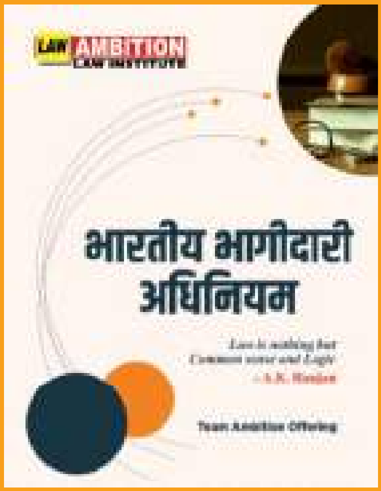

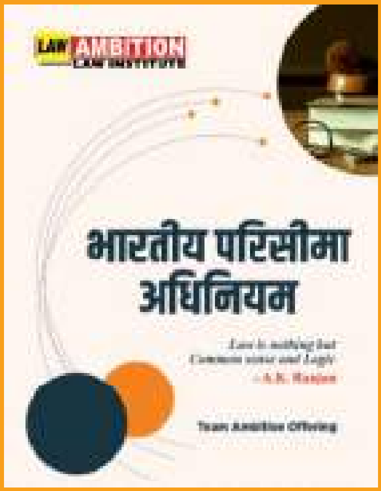

To Purchase Visit our Link or Scan QR Code

http://ambitionpublications.com/

Avail discounted rates on our Link

AVAILABLE BARE ACTS

To Purchase Visit our Link or Scan QR Code

http://ambitionpublications.com/

Avail discounted rates on our Link

Note

COURSES AVAILABLE

JUDICIARY
(ONLINE / OFFLINE)
REGULAR / WEEKEND
1 Year / 2 Years / 3 Years
8800660301

CLAT/LL.B.
(ONLINE / OFFLINE)
1 Year / 2 Years / 6 Months
8800660380
8800699594

IAS LAW
(ONLINE / OFFLINE)
8800662140

न्यायिक सेवा
(हिन्दी माध्यम)
9599293900

LAW AMBITION LAW INSTITUTE
Since 2001

ENGLISH MEDIUM
JUDICIARY | IAS LAW | CLAT /LL.B.
GTB NAGAR:
30, Near G.T.B. Metro Gate No. 2,
G.T.B. Nagar, Delhi-110009

हिन्दी माध्यम
न्यायिक सेवा
MUKHERJEE NAGAR:
B-10, 1st Floor, Mukherjee Nagar,
Delhi-110009.

AMBITION PUBLICATIONS
8506050204
ambitionpublications2017@gmail.com
ambitionpublications.com

AMBITION LAW INSTITUTE
8800660301 | 8800662140
8800660380
ambitionheadoffice@gmail.com
ambitionlawinstitute.com

Join Ambition Law Institute on